झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

–:: अधिसूचना ::–

राँची, दिनांक : 13 जुलाई, 2015

सी0एस0–01/आर0–02/2015–1235/ भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या–07, दिनांक 16.11.2000 द्वारा बनाई गई 'झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली, 2000' (समय–समय पर यथा संशोधित) की अनुसूची–1 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :–

:: संशोधन ::

I. उक्त नियमावलियों के साथ संलग्न अनुसूची–1 में अंकित विभागों एवं उसके कार्य दायित्वों के स्थान पर निम्नलिखित विभागों एवं उसके कार्य दायित्वों को प्रतिस्थापित किया जाता है:–

1. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग

क. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय

(i). मंत्रिपरिषद् की बैठक–विषयक कार्य।

(ii). राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी कार्य।

(iii). राज्यपाल सचिवालय संबंधी प्रशासनिक विषय।

(iv). मंत्रियों की नियुक्ति एवं उनके बीच विभागों का आवंटन।

(v). मंत्रियों के आप्त सचिवों एवं अपर आप्त सचिवों की नियुक्ति।

(vi). मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों, संसदीय सचिवों की उपलब्धियाँ, वेतन, भत्ता इत्यादि।

(vii). सरकारी विभागों के मासिक कार्यकलापों का प्रतिवेदन।

(viii). विकास आयुक्त द्वारा निबटाये जाने वाले विषयों से भिन्न, सचिवालय स्तर पर अंतर्विभागीय संबंधी विषय एवं पत्राचार।

(ix). कार्यपालिका नियमावली में विनिहित मुख्य सचिव क कृत और कर्त्तव्य संबंधी विषय।

(x). कार्यपालिका नियमावली।

(xi). बोर्ड, निगम, आयोग इत्यादि के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त व्यक्तियों को राज्य के मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री का दर्जा प्रदान करना।

(xii). मुख्यमंत्री सचिवालय संबंधी प्रशासनिक विषय।

(xiii). मुख्य सचिव कार्यालय संबंधी सभी विषय।

(xiv). नयाचार निदेशालय।

(xv). जन शिकायत से जुड़े मामले।

(xvi). संस्थाओं को मान्यता प्रदान ।

(xvii). भारत सरकार अथवा राज्यों के मंत्रियों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों का आगमन।

(xviii). राज चिन्ह, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय ध्वज।

(xix). गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस समारोह।

(xx). राजकीय समारोह का आयोजन।

(xxi). राजकीय अंत्येष्टि।

(xxii). राज्य अतिथिशाला (राची परिसदन में अति महत्वपूर्ण आगन्तुक पक्ष के साथ)।

(xxiii). सचिवालय गथागार।

(xxiv). राज्य अभिलेखागार।

(xxv). प्रधान स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली, झारखण्ड भवन एवं राज्य के बाहर स्थापित राज्य सरकार के समेकित कार्यालय।

(xxvi). ऐस विषय, जो किसी अन्य विभाग को आवंटित न हो।

ख. संसदीय कार्य

(i). विधान सभा के अधिवेशन के लिए राज्यपाल के अभिभाषण का प्रारूप तैयार करना।

(ii). विधान सभा के सत्रों का आह्वान और सत्रावसान करना।

(iii). राज्य विधान सभा के सत्रों के लिए कार्यक्रम तैयार करना।

(iv). विधान सभा में विधायी एवं अन्य सरकारी कार्यों का आयोजन एवं समन्वय।

(v). विभिन्न विभागों से संबंधित विधानसभा के सदस्यों की अनौपचारिक परामर्शदातृ समितियों का गठन एवं उनका क्रियान्वयन।

(vi). विभागों द्वारा विधानसभा के प्रश्नों, निवेदनों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों एवं कार्य स्थगन प्रस्तावों के उत्तर, आश्वासनों के कार्यान्वयन आदि की समीक्षा एवं उसका अनुश्रवण।

(vii). विधानसभा की समितियों की सामान्य रूप से लागू अनुशंसाओं पर विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का समन्वय।

(viii). विधानसभा के सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकारों एवं प्रभृतियों से संबंधित मामलों, संसदीय प्रणाली और कार्य के संबंध में परामर्श देना।

(ix). विधानसभा के सदस्य, पीठासीन पदाधिकारियों एवं उप पीठासीन पदाधिकारियों की उपलब्धियाँ।

(x). विभिन्न दलों के नताओं एवं सचेतक के साथ संपर्क।

(xi). विधानसभा के कार्यों के संबंध मे आवश्यकतानुसार विभाग से संपर्क।

(xii). विधानसभा के पटल पर विभिन्न प्रतिवेदनों का विभागों के द्वारा रखा जाना।

(xiii). गैर सरकारी सदस्य द्वारा संसूचित प्रस्ताव पर सदन में वाद–विवाद के सरकारी समय का आवंटन।

(xiv). सरकार द्वारा गठित समितियों तथा निकायों के लिए विधानसभा के सदस्य का मनोनयन।

टिप्पणी– किसी विभाग द्वारा गठित परामर्शदातृ समिति निकाय, निगम, पर्षद् आदि में जब कभी विधानसभा के सदस्यों को रखना अभिष्ट हो प्रभारी मंत्री द्वारा विचारित हो जाने के बाद, मगर आदेश निकालने के पहले संबद्ध विभाग उनके मनोनयन से संबंधित प्रस्ताव संसदीय कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

ग. मंत्रिमंडल निगरानी

(i). **निगरानी।**

(ii). **तकनीकि परीक्षण कोषांग।**

(iii). **भष्टाचार निवारण ब्यूरो।**

(iv). **भ्रष्टाचार निवारण से जुड़ी अन्य संस्थानों से समन्वय।**

(v). विभाग से संबंधित सभी अधीनस्थ कर्मचारियों/पदाधिकारियों का स्थापना संबंधित कार्य।

(vi). विभाग के नियंत्रणाधीन सभी चल एवं अचल सम्पति का संधारण एवं रखरखाव।

(vii). विभाग के अन्तर्गत सभी कार्यालयों/भवनों में स्वच्छता अधिष्ठापन।

(viii). विभागीय कार्यों में प्रवृत्त होनेवाले प्रक्रियाओं का सरलीकरण, डिजिटाईजेशन एवं ई–गवर्नेन्स टूल्स के माध्यम स पारदर्शी व्यवस्था का अधिष्ठापन।

2. मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग

(i). मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यालय।

(ii). संसद निर्वाचन।

(iii). राज्य विधान मंडल निर्वाचन।

(iv). विभाग से संबंधित सभी अधीनस्थ कर्मचारियों/पदाधिकारियों का स्थापना संबंधित कार्य।

(v). विभाग के नियंत्रणाधीन सभी चल एवं अचल सम्पति का संधारण एवं रखरखाव।

(vi). विभाग के अन्तर्गत सभी कार्यालयों/भवनों में स्वच्छता अधिष्ठापन।

(vii). विभागीय कार्यों में प्रवृत्त होनेवाले प्रक्रियाओं का सरलीकरण, डिजिटाईजेशन एवं ई–गवर्नेन्स टूल्स के माध्यम स पारदर्शी व्यवस्था का अधिष्ठापन।

3. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

क. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(i). भारतीय प्रशासनिक सेवा।

(ii). झारखंड सिविल सेवा (न्याय पदाधिकारी सहित)।

टिप्पणी– प्रविष्टि (i) और (ii) में विनिर्दिष्ट सेवा के जो पदाधिकारी प्रशासन की ऐसी शाखाओं में नियोजित है, जिनका नियंत्रण सचिवालय के अन्य विभाग करते हैं, उन पदाधिकारियों का विनांतर नियंत्रण संबद्ध विभाग कर सकेगा, किन्तु उन्हें दंड देने या निन्दन करने के किसी प्रस्तावित आदेश पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से परामर्श कर लिया जाना आवश्यक होगा। जिस कार्रवाई का परिणाम इन सेवाओं के किसी सदस्य की बर्खास्तगी, हटाया जाना या पदच्युत किया जाना हो, वह कार्रवाई कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा की जायेगी।

(iii). उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति।

(iv). भारतीय प्रशासनिक सेवा के संवर्गगत पदों को मौलिक या स्थानापन्न रूप से धारण करने वाले पदाधिकारियों के राँची स्थित निवासों से भिन्न निवासों का प्रशासनिक प्रधार।

टिप्पणी– उसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के उन पदाधिकारियों के निवास शामिल नहीं हं जो अनुमंडलों के प्रभारी हैं।

(v). सिविल सूची।

(vi). वेतन, छुट्टी, भत्ते, पेंशन तथा अन्य वित्तीय विषयों को विनियमित करने वाले नियमों को छोड़कर लोक सेवा पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों का गठन।

(vii). अवकाश।

(viii). विभागीय परीक्षाएँ।

(ix). सरकारी आचार नियमावली।

(x). लोक सेवा आयोग।

(xi). कर्मचारी चयन पर्षद।

(xii). जिलों और अनुमंडलों का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार।

(xiii). स्कीपा एवं सभी राज्य कर्मियों (राज्य सेवायें) की जनबल योजना और प्रशिक्षण की योजना।

(xiv). सभी राज्य कर्मियों एवं राज्य स्तरीय सरकारी सेवकों के सेवा–जीवन विकास का समन्वय।

(xv). संघीय लोक सेवा आयोग के साथ संपर्क।

(xvi). ऊँचे पदों के लिए कार्मिकों का विकास राज्य सचिवालय में सचिव, उप सचिव, अवर सचिव और सहायक सचिव स्तर के पदाधिकारियों तथा क्षेत्रीय गठन के समकक्ष पदाधिकारियों की नियुक्तियाँ।

(xvii). सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों, आशुलिपिकों, निम्न वर्गीय सहायकों, टंककों आदि की नियुक्ति एवं उनके लिए विहित परीक्षाओं का संचालन।

(xviii). सचिवालय अनुसचिवीय कर्मचारियों का संयक्त संवर्ग का नियंत्रण एवं स्थापना।

(xix). सभी विभागों से संबंधित चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की स्थापना।

(xx). लोकायुक्त की नियुक्ति और उनकी स्थापना आदि से संबंधित सभी विषय।

(xxi). राज्य सूचना आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग।

(xxii). अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के आरक्षण संबंधी कार्य नियोजन एवं शिक्षा हेतु नीति निर्धारण एवं विभिन्न वर्गों का आरक्षण निर्धारण।

(xxiii). प्रमंडलीय आयुक्तों, उपायुक्तों एवं अनुमंडल पदाधिकारियों की स्थापना।

ख. प्रशासनिक सुधार एवं नवाचार (Innovation)

(i). जनसेवाओं की डिलेवरी।

(ii). गवर्नेन्स में नवाचार।

(iii). सभी विभागों में प्रशासनिक उन्नयन तथा नोतिगत एवं कार्य प्रणाली में सुधार तथा नवाचार (Innovation)।

(iv). कार्मिक प्रशासन संबंधी शोध कार्य।

(v). संगठन पद्धति।

ग. राजभाषा

(i). राज्य सरकार की भाषा नीति का निर्धारण और कार्यान्वयन।

(ii). गजेटियर तथा कानून के अनुवाद कार्य सहित राजकीय साहित्य का हिन्दी एवं अन्य भाषाओं में अनुवाद।

(iii). हिन्दी में सरकारी कामकाज करने के लिए मार्गदर्शक साहित्य की रचना और प्रकाशन।

(iv). पारिभाषिक शब्दावली का संकलन, रचना, प्रकाशन एवं प्रचार।

(v). सरकारी सेवाओं में नियुक्ति, संपुष्टि तथा प्रोन्नति के लिये ली जाने वाली परीक्षाओं में राजभाषा हिन्दी एवं अन्य भाषाओं की स्थिति निर्धारण।

(vi). सरकारी सेवकों के लिए हिन्दी प्रशिक्षण तथा परीक्षा का संचालन।

(vii). केन्द्र एवं अन्य राज्यों के साथ राजभाषा विषयक समन्वय कार्य।

(viii). राजभाषा संबंधी सम्मेलन, गोष्ठी, प्रदर्शन आदि का आयोजन तथा इस हेतु संबंधित संस्था को अनुदान स्वीकृत करना।

(ix). सरकारी कार्यालयों में हिन्दी की प्रगति का निरीक्षण कार्य।

(x). हिन्दी प्रगति समिति एवं अन्य परामर्शदातृ समितियाँ।

(xi). भाषायी अल्प–संख्यको की भाषा उर्दू, बँगला तथा उड़िया में राजकीय साहित्य अनुवाद तथा प्रकाशन।

(xii). 'राजभाषा' पत्रिका संबंधी प्रकाशन।

(xiii). राजभाषा शोध संस्थान।

(xiv). विभिन्न विभागों में हो रहे राजभाषा संबंधी कार्यों का समन्वय।

(xv). विभाग से संबंधित सभी अधीनस्थ कर्मचारियों/पदाधिकारियों का स्थापना संबंधित कार्य।

(xvi). विभाग के नियंत्रणाधीन सभी चल एवं अचल सम्पति का संधारण एवं रखरखाव।

(xvii). विभाग के अन्तर्गत सभी कार्यालयों/भवनों में स्वच्छता अधिष्ठापन।

(xviii). विभागीय कार्यों में प्रवृत्त होनेवाले प्रक्रियाओं का सरलीकरण, डिजिटाईजेशन एवं ई–गवर्नेन्स टूल्स के माध्यम स पारदर्शी व्यवस्था का अधिष्ठापन।

4. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

क. गृह

(i). विशेष शाखा

1) भारत में प्रतिरक्षा, आंतरिक सुरक्षा या परराष्ट्र मामलों से संबद्ध राज्य कारणों से, निवारक निरोध।

2) सामान्य राजनैतिक विषय और सार्वजनिक सुव्यवस्था।

3) राज्य के भीतर क्षेत्रीय परिवर्तन और उससे संबंधित भूमि की घोषणा (जिलों और अनुमंडलों के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार को छोड़कर)।

4) राज्य और राजनैतिक कैदी।

5) समाचार पत्रों, पुस्तकें और मुद्रणालयों का नियंत्रण।

6) मिशनरी कार्य की समितियों को मान्यता प्रदान और विदेशो मिशनरियों को प्रमाण–पत्र देना।

7) पार–पत्र एवं प्रवेश–पत्र।

8) विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम (FCRA)।

9) साइबर अपराध तथा अनुसंधान।

10) मानव तस्करी एवं मनी लाउन्ड्रींग।

11) वी0आई0पी0 सुरक्षा।

12) झारखण्ड आंदोलनकारियों से संबंधित कल्याण कार्य।

13) जांच आयोग अधिनियम का प्रशासन।

14) सचिवालय आतिथ्य कार्यालय।

15) राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन।

16) व्यक्ति विशेष के नाम में परिवर्तन।

17) पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् (अन्तरराज्य परिषद् सहित)।

18) राष्ट्रीय एकीकरण।

19) दूर–मुद्रण सेवा।

(ii). पुलिस शाखा

1) आयुध, आग्नेयास्त्र, गोला–बारूद।

2) पुलिस, रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित, इसमें पुलिस के स्थानों और चौकियों के क्षेत्राधिकार के परिवर्तन भी शामिल हैं।

3) बाजी और जुए का विनियमन।

4) विधि विज्ञान प्रयोगशाला।

5) राज्य पुलिस बेतार।

6) विस्फोटक।

7) झारखण्ड शस्त्र बल एवं अन्य राज्य शस्त्र बल तथा केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के साथ समन्वय।

8) राज्य पुलिस अकादमी एवं अन्य प्रशिक्षण संस्थान।

9) पुलिस विभाग के उपयोग हेतु हेलिकॉप्टर एवं अन्य वाहन।

10) झारखंड के भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण और उनकी सहायता।

11) पुलिस भवन निर्माण निगम का नियंत्रण।

12) पुलिस विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

13) पुलिस विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(iii). सामान्य शाखा

1) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित सैनिक या सशस्त्र पुलिस से भिन्न भारतीय सेवा और वायु सेना अथवा भारत में गठित किसी अन्य सैन्य दल (फोर्स) से संबंधित सभी विषय।

2) गृह रक्षा वाहिनी।

3) सेना और वायुसेना संबंधी निर्माण, छावनियाँ।

4) परराष्ट्र (विदेशी) मामले, जिनमें देशीयकरण और अन्य देशायें भी शामिल हैं।

5) भारत से बाहर तीर्थ यात्रा (हज को छोड़कर)।

6) केन्द्रीय राजस्व से देय राजनीतिक पेंशन और अन्य राजनीतिक व्यवहार।

7) सिविल (दीवानी) न्यायालयों में स्वयं उपस्थिति से विमुक्ति।

8) देश प्रत्यावर्तन।

9) नागरिकता।

10) सैनिक महाविद्यालय देहरादून में प्रवेश।

11) ध्वनि विस्तार नियंत्रण एवं लोक भवनों/प्रतिष्ठानों की सुरक्षा (Defacement of Public Property)।

12) रेलवे स्टेशन का नामकरण।

13) निजी सुरक्षा अभिकरण।

14) राज्य मानवाधिकार आयोग।

15) अलंकरण (पद्म पुरस्कार/राष्ट्रपति पदक इत्यादि)।

16) नक्सल/उग्रवाद।

ख. अग्निशमन।

ग. कारा

1) कारा, कारा के उपयोग के लिए अन्य राज्यों के साथ व्यवस्था।

2) कारा विभाग में नियोजित सभी विभाग का नियंत्रण।

3) कारा विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

4) कैदियों, अभियुक्त व्यक्तियों और निवारक–निरोध के अधीन रखे गये व्यक्तियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में हटाना।

घ. आपदा प्रबंधन

(i). आपदा प्रबंधन अधिनियम का प्रशासन।

(ii). आपदा प्रबंधन प्राधिकार का नियंत्रण।

(iii). आपदा प्रबंधन योजना।

(iv). आपदा प्रबंधन नीति।

(v). आपदा प्रबंधन का पूर्ण चक्र का दायित्व–पूर्व तैयारियाँ, रोकथाम, न्यूनीकरण, प्रतिक्रिया तथा सहाय्य एवं पुनर्वास।

(vi). आपदा प्रबंधन का नोडल विभाग–सरकार के अन्य विभागों/अन्य राज्यों/भारत सरकार के साथ समन्वयन।

(vii). आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण।

(viii). मौसम विज्ञान।

(ix). भूमि सुधार ऋण तथा कृषि (तकावी)।

(x). संकट ऋण।

(xi). भारत सरकार द्वारा परिचालित पुनर्वास कार्य।

(xii). आपदा प्रबंधन विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

(xiii). आपदा प्रबंधन विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(xiv). राज्य आपदा मोचन बल की स्थापना, संचालन एवं संबंधित समस्त कार्य।

(xv). राज्य/जिला आपदा नियंत्रण कक्ष का संचालन।

ड़ नागरिक सुरक्षा

च. अभियोजन

(i). विभाग से संबंधित सभी अधीनस्थ कर्मचारियों/पदाधिकारियों का स्थापना संबंधित कार्य।

(ii). विभाग के नियंत्रणाधीन सभी चल एवं अचल सम्पति का संधारण एवं रखरखाव।

(iii). विभाग के अन्तर्गत सभी कार्यालयों/भवनों में स्वच्छता अधिष्ठापन।

(iv). विभागीय कार्यों में प्रवृत्त होनेवाले प्रक्रियाओं का सरलीकरण, डिजिटाईजेशन एवं ई–गवर्नेन्स टूल्स के माध्यम स पारदर्शी व्यवस्था का अधिष्ठापन।

5. योजना–सह–वित्त विभाग

क योजना एवं विकास विभाग

(i) राष्ट्रीय विकास परिषद्।

(ii) ''नीति आयोग'' से समन्वय।

(iii) ग्रेटर राँची से संबंधित योजना।

(iv) राज्य योजना प्राधिकृत समिति।

(v) (क) राज्य की पंचवर्षीय योजना का सूत्रीकरण, छानबीन तथा सामंजन योजना प्रचार, योजना संबंधी आंकड़ों का संग्रह।

(ख) जनजाति उप योजना का पंचवर्षीय तथा वार्षिक योजना के साथ समन्वय तथा इस संबंध में समग्र समन्वय।

(vi) योजना के लिए साधन स्रोतों का निर्धारण और उनका बंटवारा तथा योजनागत परियोजनाओं की सामान्य प्रगति का मूल्यांकन।

(vii) क्षेत्रीय विकास एवं जिला योजना।

(viii) जन–शक्ति आयोजन तथा सर्वेक्षण।

(ix) पिछड़ें क्षेत्रों एवं औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की पहचान एवं विकास।

(x) योजनाओं का सर्वेक्षण एवं अध्ययन कार्यक्रम।

(xi) जन सहयोग।

(xii) विभिन्न विभागों में योजनाओं के सूत्रण एवं अनुश्रवण हेतु क्षमता विकास।

(xiii) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय।

(xiv) राज्य योजना पर्षद।

(xv) राज्य विकास परिषद।

(xvi) जन निजी भागीदारी।

(xvii) विकास आयुक्त से संबंधित समस्त विषय।

(xviii) 20 सूत्री कार्यक्रम का सफल कार्यान्वयन, समन्वय और मॉनिटरिंग।

(xix) विभाग से संबंधित सभी अधीनस्थ कर्मचारियों/पदाधिकारियों का स्थापना संबंधित कार्य।

(xx) विभाग के नियंत्रणाधोन सभी चल एवं अचल सम्पति का संधारण एवं रखरखाव। विभाग के अन्तर्गत सभी कार्यालया/भवनों में स्वच्छता अधिष्ठापन।

(xxi) विभागीय कार्यों में प्रवृत्त होनेवाले प्रक्रियाओं का सरलीकरण, डिजिटाईजेशन एवं ई–गवर्नेन्स टूल्स के माध्यम से पारदर्शी व्यवस्था का अधिष्ठापन।

ख वित्तीय प्रबंधन एवं बजट

(i) वित्तीय और लेखा विषयक नियम–विनियम बनाना, संहिताएँ तैयार करना एवं उनका निर्वचन तथा वित्तीय ढंग के अन्य प्रश्नों का निर्वचन।

(ii) विभागों द्वारा दी गयी सामग्री के आधार पर वार्षिक वित्त विवरण और अनुपूरक व्यय विवरणी तैयार करना, पुनर्विनियोग एवं बचत का प्रत्यावर्त्तन।

(iii) विभागों द्वारा दी गयी सामग्री के आधार पर आय–व्ययक बनाना।

(iv) केन्द्रीय वित्त आयोग से जुड़े मामले।

(v) राज्य वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष, सदस्यों की सेवा–शर्त्त निर्धारित करना, राज्य वित्त आयोग के संचालन हेतु राशि एवं सामग्री की व्यवस्था करना तथा पंचायत राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की पहल करना।

(vi) FRBM से संबंधित सभी कार्य।

(vii) RBI से संबंधित सभी कार्य एवं समन्वय।

(viii) राज्य आकस्मिक निधि।

(ix) लेखन सामग्री एवं प्रपत्र।

(x) नियत एवं अनियत अनुदान।

(xi) सरकारी सेवकों की सेवा–षर्त्तें, वेतन भत्ता, वेतन पुनरीक्षण, वेतन निर्धारण, वेतन सत्यापन एवं ACP & MACP से संबंधित सभी मामले।

(xii) कार्यपालिका नियमावली के नियम 12 के अधीन वित्त विभाग द्वारा किये जाने वाले सामान्य प्रत्यायोजन।

(xiii) लोक उपक्रमों, लोक उपक्रम ब्यूरो से संबंधित मामले जो अन्य विभागों के कार्यक्षेत्र में नहीं आते हों।

(xiv) प्रशासी पदवर्ग समिति।

(xv) विभिन्न विभागों को वित्तीय सलाह।

(xvi) राज्य सरकार के मुद्रणालय।

(xvii) गाड़ी खरीदने, मकान बनाने, यात्रा खर्च, विवाह, त्योहार एवं अन्यान्य अग्रिम।

(xviii) सभी विभागों पर सामान्य प्रभाव डालने वाले मामलों से उद्भूत लिपिक और चतुर्थवर्गीय स्थापनाओं का समान पुनरीक्षण।

(xix) विभागों द्वारा दी गयी सामग्री के आधार पर संपादन आय–व्ययक बनाना।

(xx) स्थानीय वित्त निदेशालय की स्थापना एवं लेखा एवं बजट पदाधिकारी।

(xxi) वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग से संबंधित कार्य।

ग वित्तीय संसाधन

(i) साधन श्रोत एवं अनुसंधान कोषांग।

(ii) राजस्व संग्रहण।

(iii) राज्य सरकार द्वारा रुपया उधार लिया जाना और ऋण प्रदान।

(iv) राज्य लोक ऋण।

(v) राष्ट्रीय बचत योजना।

(vi) डाकघर बचत बैंक।

घ अंकेक्षण एवं लेखा

(i) लेखा विनियोग तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन।

(ii) अंकेक्षण, जिसमें स्थानीय निकायों की आय एव व्यय का सरकारी एजेंसी द्वारा अंकेक्षण भी शामिल है।

(iii) राज्य अंकेक्षण संस्था।

(iv) लेखा प्रशिक्षण विद्यालय।

(v) लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का विधानसभा में उपस्थापन।

(vi) महालेखाकार के साथ समन्वय।

(vii) लेखा विनियोग तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन।

ड़ सांस्थिक वित्त

(i) डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (Direct Benefit Transfer)।

(ii) बैंकिंग।

(iii) जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (Protection of the interests of Depositors)।

(iv) बीमा।

(v) विदेशी सहायता से संबंधित प्रोजेक्ट्स, केन्द्रीय प्रोजेक्ट्स तथा केन्द्रीय स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में समन्वय करना तथा इसके संबंध में भारत सरकार से संपर्क रखना एवं राज्य सरकार में गहन मॉनिटरिंग करना और इन प्रोजेक्टों तथा स्कीमों का कार्यान्वयन।

(vi) सांस्थिक वित्त संस्थाओं जैसे बैंक, नाबार्ड इत्यादि से संपर्क रखना, सांस्थिक वित्त से संबंधित सभी प्रोजेक्ट तथा स्कीम का समन्वय तथा मॉनिटरिंग करना।

(vii) सभी विभागों से संपर्क स्थापित कर 'प्रोजेक्ट तथा स्कीमों' को भली–भांति तैयार करना।

(viii) प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग (परियोजना संगठन सहित)।

(ix) व्यापार नियमों का निगमन, विनियमन और समापन जिसमें बैंकिंग, बीमा और वित्त शामिल है किन्तु सहयोग समितियाँ नहीं।

च कोषागार

(i) कोषागार स्थापना।

(ii) लोक–लेखा का नियंत्रण व स्थापना/आस्ति एवं दायित्व।

(iii) राजकर्मियों के विरूद्ध होने वाले परिवाद पत्रों की जाँच।

(iv) वित्तीय नियमावली की व्याख्या/संशोधन/आंतरिक वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति।

(v) कोषागार नियमावली की व्याख्या एवं संशोधन तथा नीतिगत् परामर्श।

(vi) ए०सी०/डी०सी० विपत्र/पी०एल०/सी०डी० खाता से संबंधित।

(vii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित करना।

(viii) प्राधिकार–पत्र।

(ix) गबन एवं क्षति।

(x) महालेखाकार एवं कोषागार पदाधिकारी/उप–कोषागार पदाधिकारी के बीच समन्वय।

(xi) विभिन्न विभागों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा महालेखाकार के बीच समन्वय स्थापित करना।

(xii) प्री–ऑडिट।

(xiii) आकस्मिक व्यय/लोक लेखा/अन्तर्विभागीय अन्तरण/अस्थायी अग्रिम/स्थायी अग्रिम/राजनैतिक पेंशन/स्थानीय निधि/राजस्व निक्षेप/अग्रिम धन।

छ भविष्य निधि एवं पेंशन

(i) औपबंधिक पेंशन/पेंशन/उपादान/अंशदायी पशन योजना।

(ii) पेंशन रूपांतरण तथा अनुकम्पा अनुदान।

(iii) भविष्य निधि, निदेशालय।

(iv) सामूहिक बीमा योजना।

(v) सामान्य भविष्य निधि, अंषदायी भविष्य निधि, अखिल भारतीय सेवा की भविष्य निधियाँ एवं भविष्य निधि निदेषालय।

6. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

क. राजस्व भूमि सुधार

(i). निम्न शीर्षक के अधीन यथा–वर्णित भू–राजस्व प्रशासन

1) भू–राजस्व का निर्धारण और तहसील (व्यावसायिक लगान सहित),

2) भू–अभिलेखों का अनुरक्षण, राजस्व प्रयोजनों के लिए सर्वेक्षण, अधिकार अभिलेखों (खतियान),

3) भू–धृति विषयक विधियॉ, भू–स्वामी (जमींदार) और काश्तकार के बीच संबंध, लगान की तहसील,

4) प्रतिपालक अधिकरण (कोर्ट ऑफ वार्डस), अवभारग्रस्त तथा कुर्क सम्पदाएं(इस्टेट),

5) उपनिवेशन और भू–राजस्व का पक्कीकरण,

6) राज्य प्रयोजनों के लिए भारत सरकार में निहित या भारत सरकार के कब्जे में स्थित भूमि निबटाव,

7) कृषि–भूमि का अंतरण, पक्कीकरण तथा उपागम, और

8) सरकारी संपदाओं (इस्टेटों) का प्रबंध।

9) खासमहल, गैरमजरूआ एवं केसरे हिन्द भूमि का प्रशासन।

(ii). संघ विषयों से संबद्ध गजेटियर और सांख्यिकी वृत्त।

(iii). जनगणना।

(iv). राज्य विषयों से संबद्ध गजेटियर और सांख्यिकी।

टिप्पणी– इसमें राजस्व पदाधिकारियों का क्षेत्राधिकार संपदाओं, इस्टेटों का विभाजन, सेस (जिसमें तटबंध सेस भी शामिल हैं) की तहसील और निर्धारण– भू–निबंधन बिहार–उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम (बिहार एण्ड उड़ीसा पब्लिक डिमान्डसरिकवरीऐक्ट), 1914 (बिहार उड़ीसा अधिनियम 4, 1914) का प्रचालन और संथाल परगना विनियमावली के अधीन आयुक्त द्वारा दिये आदेश के विरुद्ध अर्जियां भी शामिल हैं।

(v). भूमि अधिग्रहण संबंधी अधिनियम, (खान) अधिनियम (लैंड एक्वीजीशन एक्ट) (माइन्सऐक्ट), 1985 सहित।

(vi). निखात निधि।

(vii). दफन और कब्रिस्तान, दाह–संस्कार और श्मशान।

(viii). रांची स्थित भवनों को छोड़कर, राजस्व बोर्ड, प्रमंडलीय आयुक्तों और जिला पदाधिकारियों तथा अनुमंडल पदाधिकारियों के दखल में स्थित निवास, भिन्न भवनों और सरकारो डाक बंगलों का प्रशासनिक प्रभार।

(ix). कामिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अधीन मद में उल्लिखित को छोड़कर राजस्व पदाधिकारियों के रांची स्थित निवासों से भिन्न निवासों का प्रशासनिक प्रभार।

(x). भारत सरकार, अन्य राज्य सरकारों तथा जनता को इन्डियन लॉरिपोर्टससिरीज से भिन्न सरकारी प्रकाशनों की आपूर्ति का विनियमन।

(xi). परिसदनों (सर्किट हाउसों) का प्रशासनिक प्रभार।

(xii). राजस्व बोर्ड, प्रमंडलीय आयुक्तों, उपायुक्तों और अनुमंडल पदाधिकारियों के कार्यालयों में विभागीय उपयोग के पुस्तकालय।

(xiii). भूमि सुधार।

(xiv). लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम का प्रशासन।

(xv). सर्टिफिकेट एवं निलाम–पत्र।

(xvi). बाजार और मेले।

(xvii). स्वर्ण नियंत्रण आदेश का प्रशासन।

(xviii).साहूकार और साहूकारी।

(xix). भूमि बन्दोबस्ती, भू–हस्तान्तरण एवं भूदान संबंधित मामले।

ख. निबंधन

(i). सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 एवं इण्डियन पार्टनशिप ऐक्ट, 1932 का प्रशासन।

(ii). विलेखों और लेख्यों (दस्तावेजों) का निबंधन।

(iii). जन्म, मृत्यु और विवाह निबंधन अधिनियम (बर्थ्स, डेथ्स एण्ड मैरेज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट), 1886 (सं. 6 1886), बंगाल मुसलमान विवाह और तलाक निबंधन अधिनियम (बंगाल मुहम्मडन मैरेज एण्ड डाईवोर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1876) बंगाल अधिनियम, 1, 1876), काजी अधिनियम (काजीजऐक्ट), 1880 (सं. 12, 1880), पारसी विवाह और तलाक अधिनियम (पारसी मैरेजएण्डडाईवोर्सऐक्ट), 1936 (सं. 3, 1936), भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम (इंडियन क्रिश्चियनमैरेजऐक्ट, 1872), (सं. 15, 1872) एवं विशेष विवाह अधिनियम का प्रचलन।

(iv). स्टाम्प एवं स्टाम्पड्यूटी से संबंधित कार्य।

(v). निबंधन विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों पर नियंत्रण।

(vi). निबंधन विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(vii). विभाग से संबंधित सभी अधीनस्थ कर्मचारियों/पदाधिकारियों का स्थापना संबंधित कार्य।

(viii). विभाग के नियंत्रणाधीन सभी चल एवं अचल सम्पति का संधारण एवं रखरखाव।

(ix). विभाग के अन्तर्गत सभी कार्यालयों/भवनों में स्वच्छता अधिष्ठापन।

(x). विभागीय कार्यों में प्रवृत्त होनेवाले प्रक्रियाओं का सरलीकरण, डिजिटाइजेशन एवं ई–गवर्नेन्स टूल्स के माध्यम से पारदर्शी व्यवस्था का अधिष्ठापन।

7. ऊर्जा विभाग

(i). विद्युत शक्ति का उत्पादन, संचार तथा आपूर्ति।

(ii). वैद्युतिक संयंत्रों का नियंत्रण।

(iii). झारखंड राज्य ऊर्जा निगम, वितरण निगम, संचरण निगम, उत्पादन निगम, तेनुघाट विद्युत निगम एवं अन्य विद्युत उपक्रमों का नियंत्रण।

(iv). विद्युत कार्य प्रमण्डल।

(v). झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (JSERC) से संबंधित कार्य।

(vi). ऊर्जा संरक्षण से संबंधित कार्य।

(vii). सरकारी कार्यालय एवं आवासीय भवनों में विद्युत संधारण।

(viii). ऊर्जा विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

(ix). ऊर्जा विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(x). ऊर्जा के सभी वैकल्पिक और नए (अपरम्परागत) स्रोतों का विकास, उनका व्यावहारिक उपयोग तथा उन पर आधारित योजनाएँ।

(xi). सौर ऊर्जा।

(xii). ज्रेडा।

(xiii). विभाग से संबंधित सभी अधीनस्थ कर्मचारियों/पदाधिकारियों का स्थापना संबंधित कार्य।

(xiv). विभाग के नियंत्रणाधीन सभी चल एवं अचल सम्पति का संधारण एवं रखरखाव।

(xv). विभाग के अन्तर्गत सभी कार्यालया/भवनों में स्वच्छता अधिष्ठापन।

(xvi). विभागीय कार्यों में प्रवृत्त होनेवाले प्रक्रियाओं का सरलीकरण, डिजिटाईजेशन एवं ई–गवर्नेन्स टूल्स के माध्यम स पारदर्शी व्यवस्था का अधिष्ठापन।

8. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

(i). चिकित्सा महाविद्यालयों, अस्पतालों, दंत चिकित्सा महाविद्यालयों, नर्सिंग स्कूल, पारा मेडिकल स्कूल, औषधालय, पागलखाना (एसाईलम) आदि से संबंध मामलें एवं इनके विनियमन का उपबंध।

(ii). लोक स्वास्थ्य और अन्य स्वच्छता तथा जन्म–मरणादि के आंकड़े।

(iii). राज्य के बाहर उपचार।

(iv). खाद्य वस्तुओं और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण।

(v). बंगाल जन्म–मरण नियंत्रण अधिनियम (बंगाल बर्थ ऐण्ड डेथ रजिस्ट्रेशन ऐक्ट), 1873 (बंगाल अधिनियम 4, 1873) के अधीन जन्म–मरण का समन्वय।

(vi). औषधियों का नियंत्रण।

(vii). चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्रीय अवर–सेवाओं की स्थापना।

(viii). परिवार नियोजन के क्षेत्रीय अवर–सेवाओं की स्थापना।

(ix). स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

(x). राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान के सभी कार्य।

(xi). स्वास्थ्य विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(xii). मानसिक रोग अस्पताल, कांके।

(xiii). चिकित्सा एवं परिवार कल्याण से संबंधित राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्राख्यापित नियमों/अधिनियमों का प्रशासन।

(xiv). केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विषयक सभी योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।

(xv). राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रसार के उद्देश्य से नीतियों का निर्माण एवं अनुश्रवण।

(xvi). झारखण्ड स्वास्थ्य सेवा/विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा, दंत सेवा, शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक आयुष सेवा तथा झारखण्ड पारामेडिकल की स्थापना एवं तत्संबंधी मामले।

(xvii). स्वास्थ्य सेवाएँ मुहैया कराने में जन निजी भागीदारी एवं निजी चिकित्सा संस्थानों की स्थापना को प्रोत्साहन।

(xviii). स्वास्थ्य सेवा संबंधी आधारभूत संरचनाओं का निर्माण एवं रखरखाव।

(xix). स्वास्थ्य सेवाएँ, खाद्य नियंत्रण, औषधि नियत्रण, आयुष से संबंधित निदेशालयों का नियंत्रण।

(xx). राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, रिम्स एवं रिनपास को अनुदान।

(xxi). विभाग से संबंधित सभी अधीनस्थ कर्मचारियों/पदाधिकारियों का स्थापना संबंधित कार्य।

(xxii). विभाग के नियंत्रणाधीन सभी चल एवं अचल सम्पति का संधारण एवं रखरखाव।

(xxiii). विभाग के अन्तर्गत सभी कार्यालया/भवनों में स्वच्छता अधिष्ठापन।

(xxiv). विभागीय कार्यों में प्रवृत्त होनेवाले प्रक्रियाओं का सरलीकरण, डिजिटाईजेशन एवं ई–गवर्नेन्स टूल्स के माध्यम स पारदर्शी व्यवस्था का अधिष्ठापन।

9. पथ निर्माण विभाग

(i). राज्य में पथ निर्माण विभाग के अधीन स्थित पथों/पुलों का अनुरक्षण।

(ii). राष्ट्रीय पथों का रखरखाव एवं इससे जुड़े मामले।

(iii). झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकार तथा झारखण्ड त्वरित पथ विकास निगम लिमिटेड से संबंधित प्रबंधन।

(iv). अन्य विभागों से हस्तान्तरित पथों का रखरखाव।

(v). राज्य में निहित या उसके कब्जे में स्थित निर्माण, भूमि और पथ।

(vi). पथ निर्माण में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

(vii). विभाग से संबंधित सभी अधीनस्थ कर्मचारियों/पदाधिकारियों का स्थापना संबंधित कार्य।

(viii). विभाग के नियंत्रणाधीन सभी चल एवं अचल सम्पति का संधारण एवं रखरखाव।

(ix). विभाग के अन्तर्गत सभी कार्यालयों/भवनों में स्वच्छता अधिष्ठापन।

(x). विभागीय कार्यों में प्रवृत्त होनेवाले प्रक्रयाओं का सरलीकरण, डिजिटाईजेशन एवं ई–गवर्नेन्स टूल्स के माध्यम से पारदर्शी व्यवस्था का अधिष्ठापन।

10. भवन निर्माण विभाग

(i). राज्य में निहित या उसके कब्जे में स्थित निर्माण, भूमि और भवन।

(ii). राँची स्थित राजधानी क्षेत्र में तथा अन्यत्र खाली स्थलों का निबटाव जो सरकारी संपत्ति हो।

टिप्पणी– इस मद में निबटाव शब्द से तात्पर्य है भवन निर्माण विभाग के प्रशासनिक प्रभार के अधीन नीचे की मद 6 में उल्लिखित निर्माणों के प्रयोजनार्थ जमीन का आवंटन।

(iii). निम्नलिखित भवनों का प्रशासनिक प्रभार–

1) रांची एवं दुमका स्थित राजभवन

2) रांची स्थित राजधानी क्षेत्र के निवास

3) रांची स्थित ऐसे निवास जो मंत्रियों, सचिवालय के राजपत्रित पदाधिकारियों तथा मुख्य वन संरक्षक सहित अन्य विभागाध्यक्षों और उनके कार्यालयों से संबद्ध राजपत्रित पदाधिकारियों एवं अनुसचिवीय कर्मचारियों के निवास के लिए हो। साथ ही रांचीस्थित ऐसे ही अन्य सारे निवास भी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के संवर्ग पदों को मौलिक या स्थानापन्न रूप से धारण करने वाले पदाधिकारियों के वास के लिए हो।

टिप्पणी– 'अनुसचिवीय कर्मचारियों के वास' से अभिप्रेत है रांची स्थित लिपिक आवास।

4) प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय से संलग्न भवन।

5) उच्च न्यायालय भवन एवं माननीय न्यायधीशों के आवासों का रखरखाव।

6) रांची स्थित सचिवालय भवन।

7) रांची स्थित विधानसभा भवनों तथा झारखंड लोक सेवा आयोग के भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

8) झारखण्ड भवन का निर्माण एवं रखरखाव।

(iv). उपर्युक्त मद संख्या (iv)(2) एवं (3) में उल्लिखित भवनों का आवंटन।

(v). जिन राजकीय भवनों की संरचना और अनुरक्षण का काम राज्यपाल ने उन भवनों का उपयोग या उपेक्षा करने वाले विभागों को सौंप दिया हो, उन भवनों को छोड़कर राजकीय भवनों की संरचना और अनुरक्षण संबंधी लोक कार्य।

(vi). नए सरकारी भवनों में बिजली का अधिष्ठापन।

(vii). नए सरकारी भवनों में स्वच्छता कार्य एवं पेयजल आपूति का अधिष्ठापन।

(viii). भवन निर्माण एवं आवास में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

(ix). भवन निर्माण एवं आवास के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक नियंत्रण।

(x). सरकारी भवनों के निर्माण से संबंधित कार्य।

(xi). विभाग से संबंधित सभी अधीनस्थ कर्मचारियों/पदाधिकारियों का स्थापना संबंधित कार्य।

(xii). विभाग के नियंत्रणाधीन सभी चल एवं अचल सम्पति का संधारण एवं रखरखाव।

(xiii). विभाग के अन्तर्गत सभी कार्यालया/भवनों में स्वच्छता अधिष्ठापन।

(xiv). विभागीय कार्यों में प्रवृत्त होनेवाले प्रक्रियाओं का सरलीकरण, डिजिटाईजेशन एवं ई–गवर्नेन्स टूल्स के माध्यम स पारदर्शी व्यवस्था का अधिष्ठापन।

11. नगर विकास एवं आवास विभाग

क. नगर विकास

(i). स्मार्ट शहरों का विकास।

(ii). स्थानीय शहरी निकायों, क्षेत्रीय विकास प्राधिकारों, माडा तथा अन्य स्थानीय प्राधिकारों का गठन एवं शक्तियों का प्रत्यायोजन।

(iii). शहरो क्षेत्रों का मास्टर प्लान एवं जोनिंग।

(iv). नगर क्षेत्रों में कांजी हाउस और पशु–अतिचार निवारण।

(v). शहरी क्षेत्रों में परिवहन (Mono तथा Metro Rail सहित) की व्यवस्था।

(vi). झारखंड भू–उपयोग प्रतिबंध अधिनियम (बिहार रेस्ट्रिक्शन ऑफ युसज ऑफ लैंडऐक्ट) का प्रचलन।

(vii). नगर तथा क्षत्रीय निवेशन।

(viii). परिवेशात्मक आयोजन तथा समन्वय।

(ix). सिनेमा।

(x). नगरपालिका क्षेत्रों में लावारिस मवेशियों की हड्डो का संचयन और उसकी बन्दोबस्ती।

(xi). गन्दी बस्ती सफाई योजना।

(xii). भू–अर्जन और विकास स्कीम।

(xiii). नगर विकास विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

(xiv). नगर विकास विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(xv). बिहार मकान (पट्टा, किराया, बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 1982 (बिहार अधिनियम 4, 1983) का संचालन। (जी.एम.आर. 12, दिनांक 20 अप्रैल, 1983)

(xvi). नगरीय क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन तथा जल एवं वाहित मल पर नियंत्रण।

ख. आवास

(i). आवास नीति।

(ii). अल्प, मध्यम तथा उच्च आय वर्ग के लिए आवास निर्माण एवं प्रबंधन।

(iii). अन्य गृह निर्माण योजना जो सरकार द्वारा लाई जाए।

(iv). झारखण्ड आवास बोर्ड का नियंत्रण।

(v). PPP Mode की सम्भावनाएँ।

(vi). कोई अन्य गृह निर्माण योजना जो समय–समय पर लागू की जाय।

(vii). विभाग से संबंधित सभी अधीनस्थ कर्मचारियों/पदाधिकारियों का स्थापना संबंधित कार्य।

(viii). विभाग के नियंत्रणाधीन सभी चल एवं अचल सम्पति का संधारण एवं रखरखाव।

(ix). विभाग के अन्तर्गत सभी कार्यालयों/भवनों में स्वच्छता अधिष्ठापन।

(x). विभागीय कार्यों में प्रवृत्त होनेवाले प्रक्रियाओं का सरलीकरण, डिजिटाईजेशन एवं ई–गवर्नेन्स टूल्स के माध्यम स पारदर्शी व्यवस्था का अधिष्ठापन।

12. विधि विभाग

क. न्याय शाखा–

(i). दंड–विधि (फौजदारी कानून) और दंड–प्रक्रिया।

(ii). सिविल प्रक्रिया, जिसमें परिसीमा अधिनियम (लॉ ऑफ लिमिटेशन) भी शामिल है।

(iii). साक्ष्य और शपथ, विधि, लोक अधिनियमों, अभिलेखों तथा न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता।

(iv). विवाह और तलाक, बच्चे और नाबालिक, दत्तक–ग्रहण।

(v). वसीयत, निर्बसीयता और उत्तराधिकार–कृषि भूमि–विषयक को छोड़कर।

(vi). कृषि–भूमि से भिन्न संपत्ति का अंतरण।

(vii). धार्मिक और पूर्त्त धर्मस्वों से तथा शिक्षा–निमितकन्यासों से भिन्न, न्यास और न्यासी।

(viii). संविदाएं, एजेन्सी, वहन–संविदा तथा अन्य विशेष प्रकार की संविदाएं, किन्तु इनमें कृषि–भूमि संबंधी संविदाएं शामिल नहीं हैं।

(ix). मध्यस्थता।

(x). दिवालियापन और शोधनक्षमता, महा–प्रशासक और सरकारी न्यासी।

(xi). न्यायाकरण, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर, राज्य के भीतर सभी न्यायालयों का गठन, संघटन, क्षेत्राधिकार और शक्तियां, राज्य के उक्त न्यायालयों में ली जाने वाली फीसें। ''लगान और राजस्व न्यायालयों'' की प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय को छाड़कर, सभी न्यायालयों में ली जाने वाली फीसें। इस विषय के अंतर्गत निम्न बातें भी हैं–

1) अधिनियम– उसका प्रचालन और विस्तार – न्याय प्रयोजनों के लिए।

2) निम्नतर न्यायालयों के दंडादेशों के विरुद्ध अपील।

3) दीवानी (सिविल) न्यायालय, भवन और स्थापनाएं।

4) न्यायालय–भाषा।

5) न्यायिक प्रपत्र।

6) महाधिवक्ता (एडवोकेट) और सरकार के अन्य विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति।

7) निर्वसीयत संपत्ति।

8) न्याय–पदाधिकारियों का क्षेत्राधिकार।

9) विधि पुस्तकें, अवधि रिपोर्टकालक्रमित–सारणिया।

10) वैधिक कार्यों का संचालन।

11) अपराध, पागल।

12) राजनैतिक कैदियों से भिन्न सभी कैदियों के दया–प्रार्थना–पत्र तथा उनके दंडादेश की (दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 432 के अधीन) छूट या स्थगन।

13) आजीवन कारावास दंड प्राप्त कैदियों का छुटकारा।

14) यूरोपीय वंश के व्यक्तियों को प्रदेय प्रोवेट और प्रशासन–पत्र।

(xii). राज्य विधि रिपोर्ट तथा सरकार और जनता को इन रिपोर्टों की आपूर्ति।

(xiii). 1. उच्च न्यायालय, और

2. जिला तथा सत्र न्यायाधीश के कार्यालयों या उनके अधीनस्थ कार्यालयों में नियोजित सभी कर्मचारियों का नियंत्रण।

(xiv). भारत संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 और 3 में सम्मिलित किसी विषय के संबंध में, विधि–विरुद्ध अपराध।

(xv). उच्च न्यायालय–भवन और दीवानी (सिविल) न्यायालयों के सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(xvi). उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से भिन्न न्याय–पदाधिकारियों के सभी निवासों का प्रशासनिक प्रभार।

(xvii). सिविल और फौजदारी (आपराधिक), मामलों में, सरकारी खर्च पर सरकारी सेवकों की प्रतिरक्षा की मंजूरी।

(xviii). जन–सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी देना।

(xix). परकाम्य लिखित अधिनियम (निगोशियेबुल इन्सट्मेंट ऐक्ट), 1881 की धारा 138 के अधीन लेख्य प्रमाणक (नोटरी) की नियुक्ति।

(xx). प्रत्यर्पण।

(xxi). शिक्षा संस्था संबंधी धार्मिक पुर्त्त अग्रस्वों से भिन्न धार्मिक और पूर्त्तअग्रस्व (वक्फ रहित)।

(xxii). गरीबों की वैधिक सहायता।

ख. विधान शाखा

(i). प्रशासी विभागो द्वारा निकाले जाने वाले परिनियत नियमों, अधिसूचनाओं, आदेशों आदि अथवा उप–विधियों(उप–नियमों) के प्रारुपण में अन्य विभागों को सलाह देना।

(ii). प्रशासी विभागों के आदेशानुसार सभी सरकारी विधेयकों, भारत–संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन प्रख्यापित अध्यादेशों तथा भारत–संविधान की पांचवीं अनुसूची के भाग 'ख' की कंडिका की उप कंडिका (2) के अधीन बनाये गये विनियमों का प्रारुपण।

(iii). राज्य विधान सभा में पुनःस्थापन के पूर्व सभी सरकारी विधेयकों का मुद्रण और उनकी मुद्रित प्रतियों का वितरण।

(iv). विधेयकों पर प्रवर समितियों की सिफारिशों के अनुसार विधेयकों को संशोधित करना तथा उन रिपोर्टों और यथा संशोधित विधेयकों को छपाना।

(v). सरकारी या गैर सरकारी सभी विधेयकों के मामले में यह सलाह देना कि उन पर राज्यपाल या राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या सिफारिश आवश्यक है या नहीं तथा यह भी कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्र के विचारार्थ रखना अपेक्षित है या नहीं।

(vi). राज्य विधानसभा में पुनः स्थापित या राज्य विधानसभा कार्य–नियमावली के अधीन प्रकाशित सभी विधेयकों की प्रतियॉ, सभी विधेयकों पर प्रवर समितियों की रिपोर्टों की प्रतियॉ तथा आवश्यकतानुसार विधानसभा की कार्यवाही के उद्धरणों के साथ राज्य विधानसभा द्वारा पारित और राज्यपाल अनुमत सभी विधेयकों की प्रतियॉ विधि मंत्रालय (भारत सरकार) को भेजना।

(vii). राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति का, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों का और राष्ट्रपति द्वारा अनुमत विनियमों का प्रकाशन।

(viii). वर्तमान विधि के संहितायन और समेकन के लिए विधेयकों का और औपचारिक विधान का आरम्भन और प्रारूपण।

(ix). अधिनियमों, संहिताओं तथा परिनियत नियमों एवं आदेशों के संकलना का पुनरीक्षण।

1) राज्यपाल द्वारा अनुमत सभी विधेयकों, प्रख्यापित सभी अध्यादेशों तथा बनाये गये सभी विनियोग का मुद्रण और ऐसे विधान के परिणाम दिखाने वाली वार्षिक सूचियां तैयार करना,

2) सभी संशोधनों के साथ राज्य अधिनियमों के रूपभेदित संस्करण तयार करना और छपाना।

3) झारखंड–संहिता का पुनरीक्षण।

राज्य परिनियम नियमों और आदेशों की वार्षिक सूचियां तैयार करना तथा स्थानीय परिनियत नियमों और आदेशों के संकलनों का पुनरीक्षण।

(x). संबद्ध प्रशासी विभाग के परामर्श से संसद के विधेयकों और अधिनियमों, इन विधेयकों पर प्रवर समितियों की रिपोर्टों तथा राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशो का स्थानीय सरकारी गजट में पुनः प्रकाशन।

(xi). सभी सरकारी विधेयकों, यथा संशोधित विधेयकों सहित प्रवर–समितियों, की रिपोर्टों और अधिनियमों के हिन्दी अनुवाद की जांच और छपाई तथा उनके मुद्रित प्रतियों का वितरण।

(xii). विभाग से संबंधित सभी अधीनस्थ कर्मचारियों/पदाधिकारियों का स्थापना संबंधित कार्य।

(xiii). विभाग के नियंत्रणाधीन सभी चल एवं अचल सम्पति का संधारण एवं रखरखाव।

(xiv). विभाग के अन्तर्गत सभी कार्यालयों/भवनों में स्वच्छता अधिष्ठापन।

(xv). विभागीय कार्यों में प्रवृत्त होनेवाले प्रक्रियाओं का सरलीकरण, डिजिटाईजेशन एवं ई–गवर्नेन्स टूल्स के माध्यम स पारदर्शी व्यवस्था का अधिष्ठापन।

13. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

(क) वनों से संबंधित विषय

(i). राज्यों की वन सम्पदा का आकलन, संरक्षण एवं प्रबंधन।

(ii). वन भूमि का प्रबंधन एवं गैर वानिकी उपयोगों की अनुमति संबंधी मामले।

(iii). वन कार्य योजना का सूत्रण एवं प्रबंधन।

(iv). क्षतिपूरक वनरोपण।

(v). वन भूमि एवं गैर वन क्षेत्रों में वनरोपण।

(vi). वन्य प्राणियों का संरक्षण एवं प्रबंधन।

(vii). जैव विविधता का संरक्षण एव प्रबंधन तथा जैव विविधता बोर्ड का नियंत्रण।

(viii). जैविक उद्यान एवं वनस्पति उद्यान।

(ix). वन अनुसंधान एवं जागरूकता।

(x). औषधीन पौधों का संवर्द्धन, विकास एवं पबंधन।

(xi). राज्य के विभिन्न उद्यानों का पबंधन, झारपार्क सोसाइटी का नियंत्रण।

(xii). इको पर्यटन संबंधित सुविधाओं का सृजन, विकास एवं प्रबंधन।

(xiii). सामाजिक वानिकी एवं कृषि वानिकी।

(xiv). गैरकाष्ठीय वन पदार्थों का आकलन अनुसंधान एवं प्रबंधन।

(xv). वन उत्पादों, वन पदार्थों से जीविकोपार्जन।

(xvi). वन अधिकार अधिनियम अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का अभिलेखन।

(xvii). वन्य प्राणियों एवं पर्यावरण से संबंधित सभी तरह के अधिनियमों का क्रियान्वयन, अनुसंधान एवं नीति संबंधी सुझाव।

(xviii). वन विभाग के सभी संवर्गों का संवर्गीय प्रबंधन।

(xix). वन अधिकारियों एवं कर्मियों का प्रशिक्षण एवं क्षमता वृद्धि।

(xx). वन क्षेत्रों में जल छाजन एवं प्रबंधन।

(xxi). वन विकास निगम का नियंत्रण।

(xxii). वन विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का नियंत्रण एवं रखरखाव।

(xxiii). भारत सर्वेक्षण (सर्वे ऑफ इन्डिया) वनस्पति तथा प्राणी सर्वेक्षण।

(xxiv). इको टूरिज्म।

(ख) पर्यावरणीय संबंधी

(i). पर्यावरण संरक्षण।

(ii). जलवायु परिवर्तन।

(iii). वन एवं पर्यावरण से संबंधित प्रचार एवं प्रसार।

(iv). जंगली जानवरों के विनाश के लिए पुरस्कार।

(v). शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मानवीय आवासन से संबंधित पर्यावरण के दृष्टिकोण से नीति निर्धारण।

(vi). झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद।

(vii). पर्यावरण संबंधी अनुसंधान एवं तकनीकी नवीकरण।

1) मानवीय आवासनों का गुणात्मक सुधार।

2) जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण संबंधी अनुसंधान, तकनीकी, नवीकरण और उनका प्रयोग ताकि शहरी क्षेत्रों के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों के पर्यावरण को आवासन के लिए अधिक बेहतर बनाया जा सके।

(viii). विभाग से संबंधित सभी अधीनस्थ कर्मचारियों/पदाधिकारियों का स्थापना संबंधित कार्य।

(ix). विभाग के नियंत्रणाधीन सभी चल एवं अचल सम्पति का संधारण एवं रखरखाव।

(x). विभाग के अन्तर्गत सभी कार्यालयों/भवनों में स्वच्छता अधिष्ठापन।

(xi). विभागीय कार्यों में प्रवृत्त होनेवाले प्रक्रियाओं का सरलीकरण, डिजिटाईजेशन एवं ई–गवर्नेन्स टूल्स के माध्यम स पारदर्शी व्यवस्था का अधिष्ठापन।

14. ग्रामीण विकास विभाग

(क) ग्रामीण विकास

(i). राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम (एन०आर०ई०पी०) एवं विशेष प्रमंडल की स्थापना एवं प्रशासनिक नियंत्रण।

(ii). प्रखण्ड स्थापना, प्रखण्ड प्रशासन एवं प्रखण्ड में पदस्थापित पदाधिकारियों का प्रशासनिक नियंत्रण, प्रखण्ड कार्यालय सुदृढ़ीकरण।

(iii). भूमि संरक्षण, भूमि विकास, जलछाजन कार्य तथा इससे संबंधित कर्मियों एवं संस्थाओं पर प्रशासनिक नियंत्रण।

(iv). महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का कार्यान्वयन।

(v). ग्रामीण आवास कार्य तथा इन्दिरा आवास एवं अन्य ग्रामीण विकास आवास योजनाएँ।

(vi). ग्रामीण अजीविका से संबंधित योजनाएँ एवं इससे जुड़ी संस्थाओं पर प्रशासनिक नियंत्रण एवं समन्वय।

(vii). सांसद आदर्श ग्राम योजना।

(viii). माननीय सांसद एवं विधायक की अनुशंसा पर कार्यान्वित ग्रामीण विकास संबंधित योजनाएँ।

(ix). स्वर्णजयन्ती स्वरोजगार योजना, आदर्श ग्राम योजना, संजीवनी एवं आवास संबंधी अन्य योजना, रूड़सेटी/आरसेटी (सरस मेला), प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना।

(x). मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना, युवा कौशल विकास योजना, स्वयं सहायता समूह ऋण परिदान योजना (माईक्रोड्रीप) टपक सिंचाई द्वारा बागवानी को प्रोत्साहन योजना, विभागीय कम्प्यूटराइजेशन योजना।

(xi). राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (सर्ड) एवं ग्रामीण विकास से जुड़ी सभी संस्थाओं यथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण इत्यादि।

(xii). सामाजिक आर्थिक जनगणना, बी०पी०एल० सर्वे।

(xiii). ग्रामीण विकास से जुड़ी अन्य संस्थानों/एजेन्सियों यथाः कपार्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान इत्यादि से समन्वय।

(xiv). ग्रामीण विकास और प्रखंड स्तरीय आयोजन।

(xv). ग्रामीण विकास के लिए पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाएँ।

(xvi). ग्रामीण विकास से संबंधित परिनियत और अनौपचारिक समितियाँ, सम्मेलन और विचार गोष्ठियाँ।

(xvii). ग्रामीण विकास संबंधी प्रगति की समीक्षा मूल्यांकण एवं सिंहावलोकन।

(xviii). ग्रामीण विकास कार्यक्रम से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्लानिंगफोरम।

(xix). उप विकास आयुक्तों–सह–मुख्य परियोजना कार्यपालक पदाधिकारियों, सहायक विकास आयुक्तों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों तथा सहायक परियोजना कार्यपालक पदाधिकारियों का स्थानांतरण और पदस्थापना, प्रखंड स्तर के कुछ कोटि के अराजपत्रित कर्मचारियों का स्थानांतरण और पदस्थापन, प्रखंड के राजपत्रित दोनों प्रकार के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में उनका योगदान।

(xx). समग्र ग्रामीण विकास।

(ख) ग्रामीण कार्य

(i). विभाग से संबंधित सभी कार्यों का अनुश्रवण, समीक्षा एवं मूल्यांकन।

(ii). प्रधानमंत्रो ग्राम सड़क योजना।

(iii). ग्रामीण पथों का निर्माण, उन्नयन, अनुरक्षण एवं मरम्मति।

(iv). ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डलों के क्षेत्रीय पदाधिकारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण।

(v). मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना का कार्यान्वयन एवं योजना का प्रशासनिक नियंत्रण।

(ग) पंचायत राज एवं एन०आर०ई०पी० (विशेष प्रमंडल)

(i). पंचायत राज संस्थाएँ, उनका प्रशासन, शक्तियों और कृत तथा ग्राम पंचायत, खंड और जिला स्तर पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी बातें।

(ii). पंचायती राज से संबंधित पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाएँ एवं संबंधित सांख्यिकी कार्य।

(iii). पंचायती राज निदेशालय के निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक का नियंत्रण। जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला पर्षद एवं जिला अभियंता, पंचायत पर्यवेक्षकों पर प्रशासनिक नियंत्रण।

(iv). पंचायत निकायों का निर्वाचन, विभिन्न स्तर के पंचायत राज्य संस्थाओं में आपसी समन्वय तथा सरकार के दूसरे विभागों से उनका समन्वय।

(v). जिला पर्षदों क कार्यों में सहयोग तथा उनके स्थापना के मद में अनुदान एवं ऋण आदि विषय, जिला पर्षद की सड़कें, निरीक्षण भवन आदि का निर्माण मरम्मति के लिए अनुदान।

(vi). पेसा अधिनियम का कार्यान्वयन एवं प्रबंधन।

(vii). मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त की स्थापना का आवंटन।

(viii). पंचायत के निर्वाचन सदस्य तथा पंचायत राज विभाग के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण से संबंधित संस्थान पर प्रशासनिक नियंत्रण, पंचायत निकायों, विभिन्न स्तर के निर्वाचित सदस्यों/पदाधिकारियों एवं सरकारी पदाधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था, पंचायत से संबंधित अधिनियम/नियम एवं परिनियम का गठन एवं लागू करना।

(ix). पंचायती राज वित्त निगम।

(x). पंचायत समितियॉ तथा जिला परिषद् अधिनियम का प्रशासन।

(xi). मवेशी कॉजी हाउस तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मवेशी अनाधिकार प्रवेश का निवारण।

(xii). पंचायत क्षेत्र का समग्र विकास।

(xiii). विभिन्न स्तरों की पंचायती राज संस्थाओं के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(xiv). राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित विषय।

(xv). ग्रामीण क्षेत्रों में लावारिस मवेशियों की हड्डो का संचयन और उसकी बन्दोबस्ती।

(xvi). विभाग से सबंधित सभी अधीनस्थ कर्मचारियों/पदाधिकारियों का स्थापना संबंधित कार्य।

(xvii). विभाग के नियंत्रणाधीन सभी चल एवं अचल सम्पति का संधारण एवं रखरखाव।

(xviii). विभाग के अन्तर्गत सभी कार्यालया/भवनों में स्वच्छता अधिष्ठापन।

(xix). विभागीय कार्यों में प्रवृत्त होनेवाले प्रक्रियाओं का सरलीकरण, डिजिटाईजेशन एवं ई–गवर्नेन्स टूल्स के माध्यम स पारदर्शी व्यवस्था का अधिष्ठापन।

15. कल्याण विभाग

(i) जनजातीय परामर्शदातृ परिषद्

(ii) जनजातीय शोध संस्थान

(क). अनुसूचित जनजाति कल्याण जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं–

(i). अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास खोलना और बनाना।

(ii). अनुसूचित जनजाति के छात्रों के वत्तिकाएँ और पुस्तक अनुदान देना।

(iii). अनुसूचित जनजाति वाले जिलों में अनाज गोले खेलना।

(iv). प्रमुख अनुसूचित जनजातियों के सांस्कृतिक बोर्ड।

(v). अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करने वालो शैक्षिक संस्थाओं को सहायता।

(vi). अनुसूचित क्षेत्रों में हाथ कटाई तथा खादी उत्पादन।

(vii). कुटीर उद्योगों के विकास के लिए अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को ऋण देना।

(viii). अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए विशेष योजनाएँ।

(ix). अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए उप–योजना का स्त्रीकरण, छानबीन तथा सामंजन।

(x). समेकित जनजाति विकास कार्यक्रम।

(xi). आदिवासी सहकारिता विकास निगम (TCDC)।

(xii). आदिवासी कल्याण आयुक्त।

(xiii). आदिवासी सग्रंहालय एवं वन प्रबंधन।

(xiv). विधि अनुदान, छात्रावास अनुदान।

(xv). आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों का निर्माण एवं प्रबंधन।

(xvi). आदिम जनजाति कल्याण।

(ख). अनुसूचित जाति/कल्याण, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं–

(i). अनुसूचित जाति के छात्रों को वृत्तिका प्रदान।

(ii). अनुसूचित जाति के छात्रों को पुस्तकों तथा उप साधनों के लिए अनुदान।

(iii). कुटीर उद्योग के विकास के लिए अनुसूचित जाति के सदस्यों को ऋण।

(iv). अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास खोलना और बनाना।

(v). अनुसूचित जातियों को सिविल नियोग्यताएँ हटाना और बिहार हरिजन (सिविल नियोग्यता अपनयन) अधिनियम और बिहार हरिजन (रिमुवल ऑफ डिजविलीटीज ऐक्ट) (संख्या 19, 1949) का प्रचालन।

(vi). अपराधशील जनजातियों का प्रशासन और पुनर्वासन।

(vii). नगरपालिकाओं में काम करनेवाली अनुसूचित जातियों की सहकारी समितियों का संघटन।

(viii). अनुसूचित जातियों के फायदे के लिए काम करने वाली शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं को सहायक अनुदान।

(ix). अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए विशेष योजनाएँ (Special Component Plan)।

(ग). अल्पसंख्यक कल्याण

(i). अल्पसंख्यक समुदायों का कल्याण।

(ii). हज।

(iii). वक्फ।

(iv). जाति प्रथा का उन्मूलन।

(v). अल्पसंख्यक से संबंधित निम्नांकित निकाय/निगम पर प्रशासनिक नियंत्रण–

1) बिहार राज्य धार्मिक, भाषायी एवं अल्पसंख्यक आयोग।

2) 15 सूत्री कार्यक्रम समिति।

3) बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम।

4) उर्दू अकादमी।

5) बंगला अकादमी।

(vi). अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न पिछड़े वर्गों का कल्याण।

(vii). कल्याण विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

(viii). कल्याण विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(ix). विभाग से संबंधित सभी अधीनस्थ कर्मचारियों/पदाधिकारियों का स्थापना संबंधित कार्य।

(x). विभाग के नियंत्रणाधीन सभी चल एवं अचल सम्पति का संधारण एवं रखरखाव।

(xi). विभाग के अन्तर्गत सभी कार्यालयों/भवनों में स्वच्छता अधिष्ठापन।

(xii). विभागीय कार्यों में प्रवृत्त होनेवाले प्रक्रियाओं का सरलीकरण, डिजिटाईजेशन एवं ई–गवर्नेन्स टूल्स के माध्यम से पारदर्शी व्यवस्था का अधिष्ठापन।

16. महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

(i). संप्रेषण और इम्मोरल ट्राफिक इन वीमेन एण्ड गर्लस एक्ट, 1956 का प्रचलन।

(ii). प्रखंडों में महिला तथा बच्चों का कार्यक्रम।

(iii). विशेष पोषाहार योजना।

(iv). समाज कल्याण बोर्ड का नियंत्रण।

(v). दहेज प्रथा/डायन प्रथा तथा कुप्रथाओं का उन्मूलन।

(vi). बालक अधिनियम का प्रचलन।

(vii). किशोर कल्याण बोर्ड (जुवेनाईल वेलफेयर बोर्ड) दत्तक ग्रहण (Adoption)।

(viii). सुधारालय और इसी तरह की अन्य संस्थाएं तथा उनमें रखे गये व्यक्ति, इन संस्थाओं के उपयोग के लिए अन्य राज्यों के साथ व्यवस्था।

(ix). महिला आयोग, बाल आयोग तथा सदृश्य आयोगों का प्रशासन।

(x). सार्वजनिक स्थानों में भिखमंगी का विनियमन।

(xi). समाज कल्याण विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

(xii). समाज कल्याण विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(xiii). महिला अधिकारिता।

(xiv). महिलाओं और बच्चों के पलायन (Trafficking) पर रोक।

(xv). वृद्ध–जन कल्याण और संबंधित विषय।

(xvi). विकलांग–जन कल्याण और संबंधित विषय।

ख. सामाजिक सुरक्षा निदेशालय

(i). एन०एस०ए०पी० एवं राज्य योजना के अन्तर्गत संचालित सभी कार्यक्रम वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन आदि।

(ii). विभाग से संबंधित सभी अधीनस्थ कर्मचारियों/पदाधिकारियों का स्थापना संबंधित कार्य।

(iii). विभाग के नियंत्रणाधीन सभी चल एवं अचल सम्पति का संधारण एवं रखरखाव।

(iv). विभाग के अन्तर्गत सभी कार्यालयों/भवनों में स्वच्छता अधिष्ठापन।

(v). विभागीय कार्यों में प्रवृत्त होनेवाले प्रक्रियाओं का सरलीकरण, डिजिटाईजेशन एवं ई–गवर्नेन्स टूल्स के माध्यम से पारदर्शी व्यवस्था का अधिष्ठापन।

17. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

(i). खाद्य एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की अधिप्राप्ति एवं वितरण।

(ii). सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नियंत्रण, संचालन एवं अनुश्रवण।

(iii). मूल्य नियंत्रण एवं राशन व्यवस्था।

(iv). सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2000।

(v). उपभोक्ता संबंधी मामले।

(vi). राज्य आयोग एवं जिला फोरम के गठन, अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति तथा प्रशासनिक नियंत्रण।

(vii). उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986।

(viii). केन्द्र के उत्पाद शुल्क आर नमक अधिनियम, 1944।

(ix). राज्य के भीतर व्यापार।

(x). पेट्रोल, डीजल एवं अन्य पेट्रोलियम उत्पाद को व्यवस्था।

(xi). पेट्रोलियम अधिनियम एवं नियमावली।

(xii). राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम।

(xiii). भारतीय खाद्य निगम के साथ संपर्क।

(xiv). खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

(xv). खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(xvi). तौल (बाट) और माप।

(xvii). कानूनी माप–विद्या।

(xviii). राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013।

(xix). माप और तौल (बाट) अधिनियम, 1976।

(xx). भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986।

(xxi). आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, कालाबाजारी की रोकथाम और भरण–पोषण अधिनियम, 1980।

(xxii). आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955।

(xxiii). धनकुट्टी उद्योग (विनियम) अधिनियम, 1958।

(xxiv). खाद्यान्न (चीनी सहित) के भंडारण हेतु गोदामों का अधिग्रहण/किराए पर रखना एवं गोदाम निर्माण हेतु भूमि पट्टे पर लेना अथवा अधिग्रहण।

(xxv). विभाग से संबंधित सभी अधीनस्थ कर्मचारियों/पदाधिकारियों का स्थापना संबंधित कार्य।

(xxvi). विभाग के नियंत्रणाधीन सभी चल एवं अचल सम्पति का संधारण एवं रखरखाव।

(xxvii). विभाग के अन्तर्गत सभी कार्यालयों/भवनों में स्वच्छता अधिष्ठापन ।

(xxviii). विभागीय कायो में प्रवृत्त होनेवाले प्रक्रियाओं का सरलीकरण, डिजिटाईजेशन एवं ई–गवर्नेन्स टूल्स के माध्यम स पारदर्शी व्यवस्था का अधिष्ठापन।

18. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

क. सेकन्ड्री, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा

(i). +2 स्तर तक की शिक्षा (झारखण्ड अधिविद्य परिषद द्वारा संचालित कक्षा–11 एवं 12 तथा सी.बी.एस.ई. एवं आई.सी.एस.ई.) सहित।

(ii). ''झारखण्ड अधिविद्य परिषद''।

(iii). शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (ट्रेनिंग कॉलेज)।

(iv). व्यस्क शिक्षा तथा साक्षरता अभियान।

(v). विभागीय बजट एवं योजना।

(vi). पुस्तकालय (सरकारी कार्यालय–पुस्तकालय रहित)।

(vii). विभाग के अंतर्गत शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदाधिकारियोंध कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा शर्तें इत्यादि पर निर्धारण।

(viii). विद्यालय में मध्याह्न भोजन।

(ix). सेकेन्डो, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा और उसके अधीनस्थ अन्य संस्थाओं में सेवा करने वाले सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

(x). कल्याण विभाग के छात्रावास भवनों को छोड़कर सेकेन्ड्री, प्राथमिक वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित सरकारी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(xi). विज्ञान से संबंधित शैक्षणिक अधिनियमों का प्रभार।

(xii). प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं अन्य संबंधित निदेशालय।

(xiii). जे०सी०ई०आर०टी० (Jharkhand Council of Educational Research and Training)।

(xiv). जे०ई०टी० (Jharkhand Educational Tribunal)।

(xv). आर०टी०ई० (Right to Education)।

(xvi). विभाग से संबंधित सभी अधीनस्थ कर्मचारियों/पदाधिकारियों का स्थापना संबंधित कार्य।

(xvii). विभाग के नियंत्रणाधीन सभी चल एवं अचल सम्पति का संधारण एवं रखरखाव।

(xviii). विभाग के अन्तर्गत सभी कार्यालया/भवनों में स्वच्छता अधिष्ठापन।

(xix). विभागीय कार्यों में प्रवृत्त होनेवाले प्रक्रियाओं का सरलीकरण, डिजिटाईजेशन एवं ई–गवर्नेन्स टूल्स के माध्यम से पारदर्शी व्यवस्था का अधिष्ठापन।

19. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

(i). लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण कार्य (पेय जलापूर्ति, मल प्रणालिका, जल निकास और अन्याय स्वच्छता योजनाएँ)।

(ii). लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में नियमित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

(iii). लोक स्वास्थ्य विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(iv). नगर विकास विभाग द्वारा दी गई राशि से Deposit Work में सृजित शहरी पाईप जलापूर्ति योजनाओं का रखरखाव (शहरी विकास विभाग को स्थानान्तरित होने तक)।

(v). राजभवन/विधानसभा/उच्च न्यायालय तथा अन्य सरकारी भवनों में पेयजल एवं स्वच्छता कार्यों का रखरखाव (भवन निर्माण विभाग द्वारा पूर्ण दायित्व संभालने तक)।

(vi). विभाग से संबंधित सभी अधीनस्थ कर्मचारियों/पदाधिकारियों का स्थापना संबंधित कार्य।

(vii). विभाग के नियंत्रणाधीन सभी चल एवं अचल सम्पति का संधारण एवं रखरखाव।

(viii). विभाग के अन्तर्गत सभी कार्यालयों/भवनों में स्वच्छता अधिष्ठापन।

(ix). विभागीय कार्यों में प्रवृत्त होनेवाले प्रक्रियाओं का सरलीकरण, डिजिटाईजेशन एवं ई–गवर्नेन्स टूल्स के माध्यम से पारदर्शी व्यवस्था का अधिष्ठापन।

20. जल संसाधन विभाग

(i). सभी प्रकार क जल स्रोतो का प्रबंधन स्रोतों का प्रबंधन एवं नियंत्रण, सिंचाई व्यवस्था क कार्यान्वयन, संचालन एवं अनुश्रवण तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों को जल आवंटन हेतु नीति निर्धारण।

(ii). राजस्व निर्धारण, वसूली एवं लेखा।

(iii). अनुसंधान, अन्वेषण, रूपांकन योजना एवं निर्माण।

(iv). झारखण्ड जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान की स्थापना एवं व्यवस्थापन।

(v). नहर तथा उदवह सिंचाई।

(vi). जल संचय।

(vii). निर्माण खर्च की वसूली तथा राज्य के सभी परियोजनाओं से संबद्ध निर्माणों का प्रबंधन, संरचना, अनुरक्षण और प्रशासनिक प्रभार।

(viii). परियोजनाओं हेतु भू–अर्जन एवं उसके कारण विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्स्थापन।

(ix). बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी से संबंधित सभी कार्य।

(x). अंतर्देशीय जलमार्ग (राष्ट्रीय जलमार्ग सहित) उनका अनुरक्षण और स्वच्छता संरक्षण।

(xi). झारखंड पहाड़ी क्षेत्र उदवह सिंचाई निगम एवं झारखंड राज्य जल विकास निगम का नियंत्रण।

(xii). सामान्य समन्वय।

(xiii). जल संसाधन विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

(xiv). विभागीय भवनों का निर्माण, अनुरक्षण एवं प्रशासनिक प्रभार।

(xv). कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन।

(xvi). जल नियामक प्राधिकार का गठन एवं व्यवस्थापन।

(xvii). झारखण्ड राज्य जल संसाधन आयोग का गठन एवं व्यवस्थापन।

(xviii). सहभागिता सिंचाई प्रबंधन को लागू किया जाना।

(xix). विभाग के अन्तर्गत ई–गर्वेनस।

(xx). विभाग के अन्तर्गत कौशल विकास।

(xxi). भू–गर्भ जल प्रबंधन एवं सिंचाई।

(xxii). जल छाजन प्रबंधन।

(xxiii). जल संसाधन की योजनाओं में जन निजी भागीदारी की संभाव्यता की तलाश एवं क्रियान्वयन।

(xxiv). जल संसाधन योजनाओं को स्व–वित्त पोषित करने हेतु प्रबंधकीय तकनीक का उपयोग करना।

(xxv). अन्य विभागों द्वारा समय–समय पर विकसित लघु/मध्यम जल संचयन परिसम्मति का संधारण एवं प्रबंधन।

(xxvi). जल निकायों (Water Bodies) के जल के बहुद्देशीय उपयोग हेतु योजनाओं का सूत्रण एवं क्रियान्वयन।

(xxvii). जल संसाधन में संबंधित अन्य दायित्व जो राज्य सरकार द्वारा भविष्य में समय–समय पर इस विभाग को दिये जायेगे।

(xxviii). विभाग से संबंधित सभी अधीनस्थ कर्मचारियों/पदाधिकारियों का स्थापना संबंधित कार्य।

(xxix). विभाग के नियंत्रणाधीन सभी चल एवं अचल सम्पति का संधारण एवं रखरखाव।

(xxx). विभाग के अन्तर्गत सभी कार्यालया/भवनों में स्वच्छता अधिष्ठापन।

(xxxi). विभागीय कार्यों में प्रवृत्त होनेवाले प्रक्रियाओं का सरलीकरण, डिजिटाईजेशन एवं ई–गवर्नेन्स टूल्स के माध्यम से पारदर्शी व्यवस्था का अधिष्ठापन।

21. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

क. कृषि

(i). कृषि जिसमें कृषि शिक्षा, विस्तार और शोध भी शामिल है। कृषि यांत्रिकीकरण एवं इससे संबंधित संस्थान।

(ii). कृषि वस्तुओं का क्रय–विक्रय (शोध और बाजार आसूचना सहित) एवं भंडागार।

(iii). झारखण्ड कृषि विपणन पर्षद, बीज निगम एंव कृषि विपणन पर्षद् विभाग अन्तर्गत कोई अन्य लोक उपक्रम यदि हो पर प्रशासकीय नियंत्रण।

(iv). बिरसा कृषि विश्वविद्यालय।

(v). भूमि संरक्षण तथा भूमि विकास।

(vi). कृषि एवं भूमि संरक्षण में नियोजित सभी पदाधिकारीयों का नियंत्रण। उद्यान, तथा स्टेट एग्रीकल्चर मेनजमेंट एण्ड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

(vii). कृषि, उद्यान एवं भूमि संरक्षण के दखल में स्थित सभी भवन का प्रशासनिक प्रभार।

(viii). जनसेवकों के नियुक्ति/ प्रोन्नति से संबंधित मामले।

(ix). राष्ट्रीय/ अंतराष्ट्रीय कृषि संगठनों/ संस्थानों के साथ समन्वय एवं तत्संबंधी सम्मेलनों में भागीदारी।

(x). कृषि आधारित उद्योगों का विकास (फूड प्रोसेसिंग छोड़कर)।

(xi). प्राकृतिक आपदा स फसलों को होने वाले नुकसान।

(xii). सुखाड़, ओलावृष्टि, कीट व्याधि प्रकोप की स्थिति में सहाय्य उपाय हेतु समन्वय।

(xiii). दलहन एवं तिलहन विकास हेतु मिशन।

(xiv). पौघों का संक्रामक रोग, कीटनाशक के प्रभाव एवं टिड्डी (Locust) प्रकोप से बचाव।

(xv). कृषि क्षेत्र में कृषि ऋण हेतु समन्वय।

(xvi). ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि बाजार की स्थापना।

(xvii). उरर्वक तथा कीटनाशक से जुड़े, अधिनियम, नियम एवं अन्य मामले।

(xviii). उरर्वक बीज तथा कीटनाशक की उपलब्धता।

(xix). बागवानी विकास, फल एवं सब्जी विकास।

ख. पशुपालन (मत्स्य एवं गव्य सहित)

(i). पशुपालन जिसमें पशुधन का परिरक्षण, रक्षण और सुधार तथा पशु रोगों का निवारण, पशु चिकित्सा प्रशिक्षण और व्यवसाय (प्रैक्टिस) भी शामिल है।

(ii). पशु निर्दयता निवारण समितियाँ ।

(iii). मत्स्य पालन।

(iv). पशुजनित उत्पादों इत्यादि का विपणन।

(v). गव्य विकास एवं गव्य निगम का नियंत्रण।

(vi). पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

(vii). पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

ग. सहकारिता

(i). सहकारी बैंक (को–ऑपरेटिव बैंक सहित), सहकारी समितियाँ, सहकारी क्रय–विक्रय संघ का नियंत्रण।

(ii). शीर्षस्थ सहकारी संस्थान एवं संघ का नियंत्रण।

(iii). सहकारिता में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

(iv). सहकारिता के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(v). विभाग से संबंधित सभी अधीनस्थ कर्मचारियों/पदाधिकारियों का स्थापना संबंधित कार्य।

(vi). विभाग के नियंत्रणाधीन सभी चल एवं अचल सम्पति का संधारण एवं रखरखाव।

(vii). विभाग के अन्तर्गत सभी कार्यालयों/भवनों में स्वच्छता अधिष्ठापन ।

(viii). विभागीय कार्यों में प्रवृत्त होनेवाले प्रक्रियाओं का सरलीकरण, डिजिटाईजेशन एवं ई–गवर्नेन्स टूल्स के माध्यम से पारदर्शी व्यवस्था का अधिष्ठापन।

22. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

क. उच्च शिक्षा

(i). विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा।

(ii). विश्वविद्यालय तथा इससे संबंधित पुस्तकालय तथा विज्ञान संस्थाएँ ।

(iii). विश्वविद्यालय से संबंधित विशेष अध्ययन एवं शोध की अभिवृद्धि।

(iv). उच्चतर शिक्षा संस्थाओं, शोध संस्थाओं तथा विज्ञान संस्थाआ में स्तरों का समन्वय और अवधारण (वैसे सभी विश्वविद्यालयों को छोड़कर जो किसी अन्य विभाग के कार्यवृत्त में स्पष्टतः अंकित है)।

(v). अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड (इन्टरयूनिवर्सिटी बोर्ड)

(vi). विश्वविद्यालय सेवा आयोग (युनिवर्सिटी सर्विस कमिशन)

(vii). महाविद्यालय सेवा आयोग (कॉलेज सर्विस कमिशन)

(viii). विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं में शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक पदाधिकारी/कर्मचारी के संबंध में नीति निर्धारण एवं अन्य सभी प्रशासनिक मामले आदि।

(ix). बजट एवं योजना।

(x). उच्च शिक्षा विभाग और उसके अधीनस्थ अन्य संस्थाओं के सेवा करने वाले सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

(xi). विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा विभाग के दखल एवं अधिकार में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(xii). विभाग से संबंधित शैक्षणिक अधिनियमों का प्रभार।

(xiii). भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्त पोषित एवं संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व को संस्था के रूप में घोषित शैक्षिक या वैज्ञानिक संस्था।

(xiv). राज्य के अन्य सभी विश्वविद्यालयों के मामलें।

(xv). निजी विश्वविद्यालयों के मामलें।

(xvi). राष्ट्रीय महत्व की शैक्षणिक संस्थाओं के साथ समन्वय।

(xvii). मानववंश–विज्ञान (एथनोलाजी) और मानववंश वृत्त (एथलोग्राफी)।

ख. तकनीकी शिक्षा

(i). विज्ञान एवं शिल्प विज्ञान (प्रौद्योगिकी) से संबंधित नीति निरूपण।

(ii). राज्य के आवश्यकताओं पर आधारित विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र से जुड़े विभिन्न संस्थानों एवं विभागों को बढ़ावा देना।

(iii). प्रौद्योगिकी सर्वेक्षण, शोध, रूपांकन एवं विकास कार्य, जो संस्थानो के लिए आवश्यक हो उसे हाथ में लेना अथवा आर्थिक प्रायोजन करना।

(iv). क्रास सेक्टोरोल लिंकेज वाले अनेक संस्थानों एवं विभागों जिनका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रूचि एवं क्षमता हो, का समन्वयन।

(v). राज्य के शोध संस्थानों को विज्ञान एवं प्रोधौगिकी के क्षेत्र से जुड़े कार्यो के लिए अनुदान।

(vi). विश्वविद्यालय एवं अन्य संस्थानों में प्रायोगिक शोध कार्यो का संपोषण एवं समन्वय।

(vii). राज्य के चिन्हित आवश्यकता से संबंधित विज्ञान एवं प्रौधोगिकी योजनाओं को तैयार करना।

(viii). भू–सर्वेक्षण, बाढ़ पूर्वानुमान तथा भू–गर्भीय अन्वेषण के लिए उपग्रह प्रावैधिकी का उपयोग।

(ix). हवाई फोटोग्राफी तथा भूमि, जल, खनिज एवं वन संसाधनों के विकास हेतु इसका विश्लेषण।

(x). वैसे स्कीम जिसमें आधुनिक विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी का व्यवहारिक उपयोग हो।

(xi). राज्य, जिला एवं ग्राम स्तर पर जमीनी (Grass Root) विकास हेतु विज्ञान एवं प्रावैधिकी को राज्य विज्ञान एवं प्रावैधिकी परिषद अथवा अन्य तंत्र द्वारा बढ़ावा देना।

(xii). विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का समाज के कमजोर वर्ग, महिला एवं अन्य वंचित वर्ग हेतु उपयोग।

(xiii). राज्य/जिला विज्ञान केन्द्र।

(xiv). तारामंडल।

(xv). सभी उपाय जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास एवं उनक प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हो।

(xvi). विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़े नवोन्मेष।

(xvii). उभरते क्षेत्रों में शोध एवं विकास के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना।

(xviii). तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण।

(xix). नये तकनीकी संस्थानों की स्थापना (निजी एवं जनभागीदारी सहित) एवं संस्थानीय आधार भूत संरचना सहित विज्ञान एवं पौद्योगिकी क्षेत्र में संस्थानों के क्षमता सम्बर्द्धन से जुड़े विषय।

(xx). तकनीकी शिक्षा से जुड़े तकनीकी विश्वविद्यालय एवं विभागान्तर्गत गठित पर्षद यथा राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद से सबंधित कार्य।

(xxi). राज्य तकनीकी शिक्षा सेवा के अधीन सेवारत पदाधिकारियों पर नियंत्रण।

(xxii). विभागान्तर्गत दखल में स्थित भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(xxiii). अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) से संबंधित विषय।

(xxiv). विभाग से संबंधित सभी अधीनस्थ कर्मचारियों/पदाधिकारियों का स्थापना संबंधित कार्य।

(xxv). विभाग के नियंत्रणाधीन सभी चल एवं अचल सम्पति का संधारण एवं रखरखाव।

(xxvi). विभाग के अन्तर्गत सभी कार्यालयों/भवनों में स्वच्छता अधिष्ठापन ।

(xxvii). विभागीय कार्यों में प्रवृत्त होनेवाले प्रक्रियाओं का सरलीकरण, डिजिटाईजेशन एवं ई–गवर्नेन्स टूल्स के माध्यम स पारदर्शी व्यवस्था का अधिष्ठापन।

23. सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गर्वेन्स विभाग

क. सूचना तकनीकी

(i). राज्य की आवश्यकताओं पर आधारित सूचना प्रौद्योगिकी के विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाओं के विकास हेतु नीति का निर्धारण।

(ii). प्रदेश मे आई०टी० उद्योगों को स्थापना, पूंजी निवेश, निर्यात इत्यादि को प्रोत्साहित करना।

(iii). आई०टी० उद्योग एवं आई०टी० इनेब्लड सर्विसेज को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक कार्य।

(iv). सिंगल विंडो प्रणाली लागू करना, विभिन्न उद्यमी से समन्वय, सब्सिडी इत्यादि।

(v). आई०टी० उद्योग एवं इलेक्ट्रानिक्स उद्योग हेतु आई०एस०ओ० 9000, साफ्टवेयर इंजिनियरिंग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने इत्यादि के लिए संस्थाओं की स्थापना करना।

(vi). IT तथा Electronic Service एवं Technical Specs का राज्य सरकार के उपयोग के लिए Standard निर्धारित करना।

(vii). IT तथा Electronic Service तथा System पर आधारित Training/ Capacity Building कार्यक्रम का कार्यान्वयन।

(viii). संचार तकनीक (OFC, Mobile तथा Broadband etc.) एवं सेवाओं से संबंधित नीतियों एवं दिशा निर्देशों का गठन एवं क्रियान्वयन।

(ix). प्रदेश में आई०टी० को बढ़ावा देने के लिए एजेंसियों का गठन एवं इनके शासन स्तरीय समस्त कार्य।

(x). प्रदेश में आई०टी० से संबंधित आधारभूत संरचनाओं तथा नेटवर्किंग/सामुदायिक सूचना केन्द्र इत्यादि का विकास।

(xi). प्रदेश में विडियो कॉफ्रेंसिंग योजनाओं का क्रियान्वयन।

(xii). सॉफ्टवेयर टेकनोलॉजी पार्क/मल्टीमिडिया कोरिडोर इत्यादि से संबंधित कार्य।

(xiii). ई–गर्वेन्स से संबंधित एप्लीकेशन का विकास एवं उपयोग।

(xiv). प्रदेश में ई–गर्वेन्स, ई–मेल इत्यादि के विस्तार हेतु नोडल विभाग के रूप में कार्य करना।

(xv). विभिन्न सरकारी विभागों/निगमों में कम्प्यूटरीकरण एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण।

(xvi). आई०टी० उत्पादों के लिए रेट कांट्रेक्ट जारी करना एवं नीति निर्धारण।

(xvii). प्रदेश में इन्फॉरमेशन टेकनोलॉजी प्रशिक्षण पाठयक्रम का निर्धारण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु संस्थाओं को तैयार करना।

(xviii). राष्ट्रीय सूचना केन्द्र एवं आई०टी० क्षेत्र से जुड़े केन्द्रीय संस्थानों/संस्थाओं से समन्वय।

(xix). प्रदेश में आई०टी० से संबंधित इंस्टीच्यूट ऑफ क्लीयरेंस तथा आई०आई०आई०टी० इत्यादि की स्थापना।

(xx). आई०टी० एडवाईजरी, ग्रुप, विजन ग्रुप इत्यादि की बैठकों का आयोजन व उनमें लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन।

(xxi). आई०टी० विभाग के बजट समन्वय संबंधी समस्त कार्य।

(xxii). विभिन्न परियोजनाओं हेतु भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त किया जाना व भारत सरकार में अंकित विभागीय परियोजनाओं के संबंध में सूचनाओं का प्रेषण ।

(xxiii). सरकारी कामकाज में कम्प्यूटर का व्यावहारिक प्रयोग।

(xxiv). केबल टी०वी० रेगुलेशन एक्ट।

(xxv). साईबर/सुरक्षा/संचार एवं इन्टरनेट संबंधी मामले।

ख. ई गवर्नेन्स

(i). राज्य के शासन में अधिक से अधिक सूचना तकनीक विकसित कर जन आधारित सेवा प्रदायी व्यवस्था लागू करना (प्रज्ञा केन्द्र सहित)।

(ii). झारनेट।

ग. जियो स्पेशियल तकनीकि (Space Technology / GIS /GPS)

(i). विभाग से संबंधित सभी अधीनस्थ कर्मचारियों/पदाधिकारियों का स्थापना संबंधित कार्य।

(ii). विभाग के नियंत्रणाधीन सभी चल एवं अचल सम्पति का संधारण एवं रखरखाव।

(iii). विभाग के अन्तर्गत सभी कार्यालयों/भवनों में स्वच्छता अधिष्ठापन।

(iv). विभागीय कार्यों में प्रवृत्त होनेवाले प्रक्रियाओं का सरलीकरण, डिजिटाईजेशन एवं ई–गवर्नेन्स टूल्स के माध्यम से पारदर्शी व्यवस्था का अधिष्ठापन।

24. श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

(i). श्रम कल्याण, जिसमें काम की शर्तें, भविष्य निधि, नियोजक का दायित्व, कामगार, क्षतिपूर्ति, असमर्थता, पेंशन तथा प्रसूति–सुविधा भी शामिल है।

(ii). खान और कोयला क्षेत्र में श्रम और सुरक्षा का विनियमन।

(iii). संघ में उत्प्रवासन (एमिग्रेशन) और संघ में आप्रवासन (इमिग्रेशन) तथा अंतर्राज्य प्रवासन (माईग्रेशन)।

(iv). श्रम–मजदूरी।

(v). औद्योगिक सांख्यिकी अधिनियम (इण्डस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स एक्ट) के अधीन औद्योगिक सांख्यिकी (आंकड़े)।

(vi). कारखाना निरीक्षाणलय।

(vii). श्रमिक संघ।

(viii). हड़ताल तथा औद्योगिक और श्रमिक विवाद।

(ix). वाष्पित्र (व्यालर)।

(x). कर्मचारी राज्य बीमा।

(xi). असंगठित मजदूर कल्याण कोष।

(xii). नियोजनालय।

(xiii). शिल्पी और तकनीशियन प्रशिक्षण तथा श्रमिकों का व्यावसायिक प्रशिक्षण।

(xiv). नियोजित विकलांगों का कल्याण।

(xv). सचिवालय आहार गृह।

(xvi). बाल श्रमिक एवं बंधुआ मजदूरी उन्मूलन तथा कल्याण।

(xvii). श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

(xviii). श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के दखल में सभी भवनों का नियंत्रण।

(xix). कौशल विकास कार्यक्रम।

(xx). विभाग से संबंधित सभी अधीनस्थ कर्मचारियों/पदाधिकारियों का स्थापना संबंधित कार्य।

(xxi). विभाग के नियंत्रणाधीन सभी चल एवं अचल सम्पति का संधारण एवं रखरखाव।

(xxii). विभाग के अन्तर्गत सभी कार्यालयों/भवनों में स्वच्छता अधिष्ठापन ।

(xxiii). विभागीय कार्यों में प्रवृत्त होनेवाले प्रक्रियाओं का सरलीकरण, डिजिटाईजेशन एवं ई–गवर्नेन्स टूल्स के माध्यम से पारदर्शी व्यवस्था का अधिष्ठापन।

25. पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

क. पर्यटन

(i). पर्यटन की दृष्टि से धार्मिक, ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थलों का विकास।

(ii). झारखंड में होटल उद्योग का विकास।

(iii). देशी एवं विदेशी पर्यटकों के लिए आवास, परिवहन, मार्गदर्शन एवं उपहार की व्यवस्था।

(iv). पर्यटन साहित्य प्रकाशन एवं विभिन्न साधनों द्वारा प्रचार।

(v). पर्यटन व्यवस्था के लिए स्थापित भिन्न–भिन्न संस्थाओं जैसे– पर्यटन सूचना केन्द्र, युवा आवास, टुरिष्ट बँगला।

(vi). पर्यटन में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

(vii). पर्यटन के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(viii). सराय और सरायपाल।

(ix). सभी सरकारी निरीक्षण भवन/गेस्ट हाउस का संचालन।

(x). पर्यटक सुरक्षा।

ख. कला एवं संस्कृति

(i). भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्त पोषित एवं संसद द्वारा विहित राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित शैक्षिक वैज्ञानिक संस्था जो उच्च एवं तकनीकि शिक्षा विभाग के प्रभार में न हो।

(ii). कला एवं संस्कृति।

(iii). प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक और अभिलेख तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष जिन्हें संसद में विधि द्वारा राष्टोय महत्व का घोषित किया जो तथा अन्य पुरातात्विक स्थल और अवशेष।

(iv). संग्रहालय एवं ऐसी अन्य संस्थाएँ।

(v). सभी एकादमी एवं ऐसी अन्य संस्थाएँ।

(vi). विभागीय बजट एवं योजना।

(vii). विभाग से संबंधित सरकारी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(viii). विभाग से संबंधित अधिनियमों का प्रशासनिक प्रभार।

(ix). कला एवं संस्कृति के अंतर्गत पदाधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा शर्त आदि का निर्धारण एवं प्रशासनिक नियंत्रण।

(x). रंगशाला (थियेटर) और नाट्य अभिनय।

(xi). प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक (जो संघ के न हों) राज्य सरकार द्वारा स्वाधिकृत स्मारक संरचनाएँ भी।

(xii). भाषाएं और भाषा सर्वेक्षण।

ग. खेलकूद एवं युवा कार्य

(i). खेलकूद को प्रोत्साहन।

(ii). खेल विश्वविद्यालय।

(iii). झारखण्ड खेल प्राधिकारण खेल संघ एवं परिसंघ।

(iv). युवा कल्याण।

(v). राष्ट्रीय कैडेट कोर और सहायक कैडेट कार।

(vi). राष्ट्रीय सेवा योजना।

(vii). युवा कार्य विभाग के अंतर्गत पदाधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा शर्त आदि का निर्धारण एवं प्रशासनिक नियंत्रण।

(viii). विभाग से संबंधित सरकारी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(ix). विभाग से संबंधित अधिनियमों का प्रशासनिक प्रभार।

(x). विभाग से संबंधित सभी अधीनस्थ कर्मचारियों/पदाधिकारियों का स्थापना संबंधित कार्य।

(xi). विभाग के नियंत्रणाधीन सभी चल एवं अचल सम्पति का संधारण एवं रखरखाव।

(xii). विभाग के अन्तर्गत सभी कार्यालयों/भवनों में स्वच्छता अधिष्ठापन।

(xiii). विभागीय कार्यों में प्रवृत्त होनेवाले प्रक्रियाओं का सरलीकरण, डिजिटाईजेशन एवं ई–गवर्नेन्स टूल्स के माध्यम से पारदर्शी व्यवस्था का अधिष्ठापन।

26. उद्योग विभाग

(i). औद्योगिक नीति का निर्धारण।

(ii). राज्य में निवेश हेतु प्रचार–प्रसार प्रोत्साहन एवं समन्वय।

(iii). उद्योग स्थापना में सहयोग तथा उद्यमियों को जागरूक करना।

(iv). उद्योग से संबंधित शोध एवं समन्वय कार्य।

(v). सभी प्रकार के औद्योगिक तथा व्यावसायिक संस्थान के साथ संपर्क।

(vi). औद्योगिक प्रांगण, औद्योगिक क्षेत्र तथा जिला उद्योग केन्द्र।

(vii). औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार।

(viii). कच्चा माल की व्यवस्था।

(ix). लोहा तथा इस्पात तथा अन्य प्रक्षेत्र विशेष उद्योग की स्थापना तथा व्यापार प्रोत्साहन।

(x). खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना।

(xi). उद्योग निदेशालय।

(xii). झारखंड हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय।

(xiii). झारखंड राज्य आधारभूत संरचना विकास निगम।

(xiv). झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम।

(xv). झारखंड रेशम, वस्त्र एवं हस्तशिल्प विकास निगम।

(xvi). झारखंड राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड।

(xvii). औद्योगिक सहायता केन्द्र (Single Window System)।

(xviii). उद्योग मेला।

(xix). औद्योगिक प्रशिक्षण उद्यमिता तथा कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण।

(xx). क्राफ्ट एवं डिजाईन मे ं उद्यमिता तथा कौशल विकास।

(xxi). राज्य के बाहर औद्योगिक सपर्क कार्यालय।

(xxii). उद्योग विभाग के भवनों तथा संपत्तियों का प्रशासनिक प्रभार।

(xxiii). उद्योग विभाग के संवर्ग का प्रबंधन एवं नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

(xxiv). उद्योग से जुड़े संस्थान एवं निगम।

(xxv). पैटेन्ट, अविष्कार, Intellectual Property Rights एवं ट्रेडमार्क।

(xxvi). निर्यात को बढ़ाने के प्रयासों को प्रोत्साहित करनेवाले परियोजना एवं कार्यक्रम।

(xxvii). औद्योगिक गलियारा एवं Integrated Manufacturing Cluster।

(xxviii). विशेष आर्थिक जोन।

(xxix). विभाग से संबंधित सभी अधीनस्थ कर्मचारियों/पदाधिकारियों का स्थापना संबंधित कार्य।

(xxx). विभाग के नियंत्रणाधोन सभी चल एवं अचल सम्पति का संधारण एवं रखरखाव।

(xxxi). विभाग के अन्तर्गत सभी कार्यालयों/भवनों में स्वच्छता अधिष्ठापन।

(xxxii). विभागीय कार्यों में प्रवृत्त होनेवाले प्रक्रियाओं का सरलीकरण, डिजिटाईजेशन एवं ई–गवर्नेन्स टूल्स के माध्यम से पारदर्शी व्यवस्था का अधिष्ठापन।

27. खान एवं भू–तत्व विभाग

(i). भू–तत्व संबंधी सर्वेक्षण, जिसमें वेधन कार्य (ड्रिलिंग) शामिल है।

(ii). भूगर्भ संसाधनों का आकलन, मैपिंग, संरक्षण एवं विकास।

(iii). पूर्वेक्षण (प्रोस्पेक्टिंग) लाइसेंसों और खनिज पट्टों की मंजूरी तथा उनका नवीकरण।

(iv). सरकारी क्षेत्र के माध्यम से खनिज विकास।

(v). खानों का विनियमन और खनिज समनदान नियमावली (मिनरल कन्सेशन रूल्स का प्रचलन)।

(vi). झारखंड अभ्रक अधिनियम (झारखंड माईकाएक्ट) का प्रचालन।

(vii). वन क्षेत्रों सहित समूचे राज्य के लघु खनिजों का प्रबंधन।

(viii). खनिज तेल, परमाणु–खनिज आदि के विकास से संबंधित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रगत उपक्रमों से संपर्क।

(ix). झारखंड राज्य खनिज विकास निगम का नियंत्रण।

(x). खान एवं भू–तत्व में नियाजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

(xi). खान एवं भू–तत्व के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(xii). विभाग से संबंधित सभी अधीनस्थ कर्मचारियों/पदाधिकारियों का स्थापना संबंधित कार्य।

(xiii). विभाग के नियंत्रणाधीन सभी चल एवं अचल सम्पति का संधारण एवं रखरखाव।

(xiv). विभाग के अन्तर्गत सभी कार्यालयों/भवनों में स्वच्छता अधिष्ठापन।

(xv). विभागीय कार्यों में प्रवृत्त होनेवाले प्रक्रियाओं का सरलीकरण, डिजिटाईजेशन एवं ई–गवर्नेन्स टूल्स के माध्यम से पारदर्शी व्यवस्था का अधिष्ठापन।

28. परिवहन विभाग

क. परिवहन

(i). मोटर गाड़ी करारोपण तथा राजस्व संग्रहण।

(ii). मोटर परिवहन नियंत्रण।

(iii). यंत्र चालित जल यानों के संबंध में संसद द्वारा विधित मोटर चालक प्रशिक्षण संस्थाएँ।

(iv). राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित अंतर्देशीय जलमार्गों से जहाजरानी और नौ–परिवहन।

टिप्पणी– इसमें अंतर्देशीय जल परिवहन, अंतर्देशीय वाष्प जलयान अधिनियम का प्राक्कलन और नदी स्वच्छता संरक्षण भी शामिल है।

(v). अंतर्देशीय जलमार्गों से जहाजरानी और नौ–परिवहन।

(vi). रेलवे।

(vii). घाट (फेरिज)।

(viii). परिवहन में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

(ix). परिवहन के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(x). जलाशय में नौका परिचालन।

ख. नागर विमानन

(i). सरकारी वायुयान (पुलिस के अन्तर्गत हेलिकॉप्टर को छोड़कर)।

(ii). वायुयान, वायु परिवहन, हवाई यातायात का विनिमय और संगठन।

(iii). उड्डयन संस्थाएँ।

(iv). वैमानिक प्रशिक्षण।

(v). विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

(vi). विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(vii). राज्य सरकार के हवाई अड्डों का उपबंध, अनुरक्षण, संगठन तथा समन्वय।

(viii). विभाग से संबंधित सभी अधीनस्थ कर्मचारियों/पदाधिकारियों का स्थापना संबंधित कार्य।

(ix). विभाग के नियंत्रणाधीन सभी चल एवं अचल सम्पति का संधारण एवं रखरखाव।

(x). विभाग के अन्तर्गत सभी कार्यालयों/भवनों में स्वच्छता अधिष्ठापन।

(xi). विभागीय कार्यों में प्रवृत्त होनेवाले प्रक्रियाओं का सरलीकरण, डिजिटाईजेशन एवं ई–गवर्नेन्स टूल्स के माध्यम से पारदर्शी व्यवस्था का अधिष्ठापन।

29. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

(i). प्रेस जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है–

1. मीडिया (प्रेस, टी0वी0, रेडियो, इन्टरनेट तथा अनय संचार साधन) के साथ संपर्क।
2. प्रेस नोट समाचार, लेख आदि मीडिया को जारी करना।
3. मीडिया में प्रकाशित तथा प्रसारित होने वाले सभी समाचारों टोन एवं टेम्पर की समीक्षा।
4. मीडिया प्रतिनिधियों को विभिन्न क्षेत्रों का परिदर्शन कराना।
5. मीडिया सम्मेलन/मीट का आयोजन।
6. प्रेस/ मीडिया संवाददाताओं को मान्यता प्रदान करना एवं प्रेस/मीडिया प्रमाण–पत्र जारी करना।

(ii). सभी सरकारी सजावटों तथा वर्गीकृत विज्ञापनों का समाचार–पत्रों में प्रसारित कराना एवं तत्संबंधी देयकों का केन्द्रीकृत रूप में भुगतान।

(iii). राज्य सरकार की उपलब्धियों एवं विकास कार्यक्रमों पर विभिन्न भाषाओं तथा माध्यमों में पर्चे, पोस्टर, होर्डिंग, पुस्तिका आदि प्रकाशन से संबंधित प्रचार साहित्य।

(iv). राज्य में तथा राज्य के बाहर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए राज्य सरकार के उपलब्धयिों का प्रचार।

(v). भिन्न–भिन्न भाषाओं, अंग्रेजी, हिन्दी/उर्दू में प्रकाशित साप्ताहिक यथा झारखंड इन्फारमेशन/झारखंड समाचार/झारखंड की खबरें, संथाली में प्रकाशित साप्ताहिक होड़ सौम्वाद तथा हिन्दी में प्रकाशित साप्ताहिक आदिवासी पत्रिकाओं द्वारा झारखंड के सांस्कृतिक, आर्थिक विकास के बारे में प्रचार।

(vi). प्रदर्शनी–

1. राज्य में तथा राज्य के बाहर प्रदर्शनी लगाना।
2. दूसरे राज्यों, केन्द्रीय सरकार, अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में भाग लेना।

3. अन्य विभागों के प्रदर्शनी एवं प्रचार–प्रसार में समन्वय।

(vii). नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर राज्य का प्रतिनिधित्व।

(viii). न्यूजरील, डोक्युमेन्ट्री तथा फीचर फिल्म का निर्माण तथा उसके माध्यम से राज्य में हुए प्रगति, विकास तथा संस्कृति का प्रचार।

(ix). रेडियो–आकाशवाणी से संपर्क–देहाती रेडियो गोष्ठी– रेडियो के माध्यम से प्रचार।

(x). टेलीविजन के माध्यम से प्रचार।

(xi). क्षेत्रीय प्रचार–कार्य।

(xii). सूचना केन्द्र।

(xiii). सूचना एवं जन–संपर्क में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

(xiv). सूचना एवं जन–संपर्क के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(xv). सोशल मीडिया।

(xvi). विभाग से संबंधित सभी अधीनस्थ कर्मचारियों/पदाधिकारियों का स्थापना संबंधित कार्य।

(xvii). विभाग के नियंत्रणाधीन सभी चल एवं अचल सम्पति का संधारण एवं रखरखाव।

(xviii).विभाग के अन्तर्गत सभी कार्यालया/भवनों में स्वच्छता अधिष्ठापन।

(xix). विभागीय कार्यों में प्रवृत्त होनेवाले प्रक्रियाओं का सरलीकरण, डिजिटाईजेशन एवं ई–गवर्नेन्स टूल्स के माध्यम स पारदर्शी व्यवस्था का अधिष्ठापन।

30. वाणिज्यकर विभाग

क. वाणिज्य कर

(i). कराधान एवं राजस्व संग्रहण।

(ii). मूल्य वर्धित कर।

(iii). जी०एस०टी० (लागू होने पर)।

(iv). मनोरंजन–कर, बिक्री–कर, शुल्क, पेशा कर, मोटर स्प्रीट की खुदरा बिक्री पर कर, सिनेमा शो द्वारा विज्ञापन पर कर एवं कृषि आय–कर।

(v). झारखण्ड वाणिज्य कर न्यायाधिकरण।

(vi). झारखंड वित्त सेवा।

(vii). राँची स्थित राजपत्रित पदाधिकारियों के निवास गृह को छोड़कर वाणिज्य–कर तथा वित्त विभाग के भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

31. उत्पाद एवं मद्य निषेध

(i). मदिरा और स्वापक औषधियां अर्थात् मदिरा, अफीम तथा अन्य स्वापक औषधियों का उत्पादन, विनिर्माण, पास रखना, परिवहन, क्रय और विक्रय।

(ii). राज्य में विनिर्मित या उत्पादित निम्नलिखित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क और भारत में अन्यत्र विनिर्मित या उत्पादित ऐसी ही वस्तुओं पर उन्हीं या कम दरों पर प्रति शुल्कः–

1) मानक उपयोग के लिए अल्कोहल मद्य।
2) अफीम, भारतीय मांग और अन्य स्वापक औषधियां तथा स्वापक, अस्वापक औषधियां।
3) अल्कोहल या इस प्रतिष्टि को उप–कंडिका (2) में उल्लिखित किसी अन्य पदार्थ से युक्त औषधि एवं प्रसाधन सामग्री।

(iii). छोआ नियंत्रण।

(iv). शक्ति अल्कोहल।

(v). मद्य निषध।

(vi). उत्पाद एवं मद्य निषेध में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

(vii). द पायसनऐक्ट, 1919 का प्रचालन।

(viii). उत्पाद एवं मद्य निषेध के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(ix). विभाग से संबंधित सभी अधीनस्थ कर्मचारियों/पदाधिकारियों का स्थापना संबंधित कार्य।

(x). विभाग के नियंत्रणाधीन सभी चल एवं अचल सम्पति का संधारण एवं रखरखाव।

(xi). विभाग के अन्तर्गत सभी कार्यालयों/भवनों में स्वच्छता अधिष्ठापन।

(xii). विभागीय कार्यों में प्रवृत्त होनेवाले प्रक्रियाओं का सरलीकरण, डिजिटाईजेशन एवं ई–गवर्नेन्स टूल्स के माध्यम से पारदशी व्यवस्था का अधिष्ठापन।

II. यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(जितबाहन उरांव)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक : सी0एस0–01/आर0–02/2015 1235 / राँची, दिनांक . 13 जुलाई, 2015

प्रतिलिपि : राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त/सदस्य, राजस्व पर्षद्/सभी मंत्रीगण के आप्त सचिव/महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान/ सभी अपर मुख्य सचिव/ सरकार के सभी प्रधान सचिव/ सरकार के सभी सचिव/ सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय/ सभी विभागाध्यक्ष/ निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखंड, रांची/गृह मंत्रालय, पॉलिटिकल (एक) शाखा, भारत सरकार, नयी दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(जितबाहन उरांव)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक : सी0एस0–01/आर0–02/2015 1235 / राँची, दिनांक . 13 जुलाई, 2015

प्रतिलिपिः महालेखाकार, झारखण्ड/प्रधान स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली/ महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/ कोषागार पदाधिकारी, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा/ डोरंडा, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(जितबाहन उरांव)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक : सी0एस0–01/आर0–02/2015 1235 / राँची, दिनांक . 13 जुलाई, 2015

प्रतिलिपिः अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को झारखंड राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/–
(जितबाहन उरांव)
सरकार के अपर सचिव